राजस्थान विधान सभा

७६वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक २४ सितम्बर, सन् १६५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८-८ पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ११२५

वूलन मिल स्थापित करने हेतु किशनगढ़ में भूमि नियतन

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किशनगढ़ में किसी को वूलन मिल लगाने के लिये कोई जमीन सरकार द्वारा दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो कब किसको कितनी जमीन किस रेट से दी गई है ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त जमीन कारखाना बनाने के लिये कन्सेशनल रेट से दी गई है ?

(घ) क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर कारखाना नहीं बनाया गया और अब जमीन बेच कर इसका फायदा उठाया जा रहा है ?

(ङ) क्या यह सही है कि उक्त जमीन मौके की है और रेलवे लाइन के दोनों किनारों पर है ?

(च) क्या सरकार उक्त जमीन को एक्वायर कर अन्य कारखानों के लिये देने का विचार रखती है ?

(छ) यदि नहीं, तो क्यों ?

Page No.2

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—दिनांक ६-६-१६४७ को किशनगढ़ स्टेट द्वारा सेठ नेमीचन्दजी को १०० एकड़ जमीन वूलन मिल लगाने के लिये २०,०००) रुपये में दी गई थी।

(ख) जवाब ऊपर अंकित है।

(ग) हां।

(घ) ८-१०-१६४७ इस्वी को महाराजा किशनगढ़ ने यह आज्ञा प्रदान की थी कि २०,०००) रुपया जो इस जमीन के प्रार्थी श्री नेमीचन्द पांड्या ने अदा किये हैं काफी हैं और इस कीमत की एवज में इस जमीन के सब मालिकाना हक उनको अदा किये जाते हैं।

(ङ) हां, यह सही है।

(च और छ) जमीन सरकार द्वारा हमेशा पब्लिक के काम के लिये खरीदी जा सकती है। अगर इस किस्म की आवश्यकता होगी तो एक्वायर करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ में औद्योगिक कारखाने लगाने के लिए इस जमीन के अलावा और कोई उपयुक्त जगह नहीं है?

श्री जयनारायण व्यास—कई औद्योगिक कारखाने लगे थे और वे बन्द हैं आज। और वह जगह भी खाली पड़ी है और इसके अलावा किशनगढ़ में इस जमीन के अलावा और भी जमीन है यह मैं बता सकता हूँ।

श्री चांदमल मेहता-क्या माननीय मन्त्री महोदय की यह जानकारी में है कि किसी भी कारखाने के लगाने के लिए रेलवे लाइन का उसके नजदीक होना और उस कारखाने में रेलवे लाइन ले जाना आवश्यक होता है? इस दृष्टि से इस जमीन के अलावा और कोई उपयुक्त जमीन वहां नहीं है?

श्री जयनारायण व्यास—रेलवे लाइन के आसपास भी जमीन है, वह खाली है और प्राप्त हो सकती है; और यह जमीन भी, ऐसा कोई कारखाना आता है तो एक्वायर करके प्राप्त हो सकती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस जमीन को एक मरतबा बेची जाने के बाद में फिर एक्वायर करने की कार्यवाही की जावेगी?

श्री जयनारायण व्यास—सन् १६४७ ई० में यह जमीन बेच दी गई थी और इसके एक्वायर करने का प्रश्न उस वक्त पैदा हो सकता है जब पब्लिक पर परपजेज के लिए एक्वायर करने की आवश्यकता होगी।

Page No.3

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस वक्त इस जमीन के छोटे छोटे प्लाट किये जा कर उस व्यक्ति की तरफ से बेची जा रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—अगर इसको मालिकाना हक है तो उसे बेचने का भी हक है। बेची जा रही है, मुझे यह सूचना नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस सम्बन्ध में मेरे प्रश्न के भाग (घ) में यह नहीं पूछा गया है कि इस जमीन को बेच कर उसका फायदा उठाया जा रहा है ? तो क्या सरकार को यह मालूम है कि यह बेची जा रही है या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—इसकी डिटेल्ड जानकारी हासिल करना उसी वक्त सम्भव हो सकता है जब कि जो ले रहे हैं और जो बेच रहे हैं उनके नेगोशियेशन का पूरा पूरा पता हो। अगर कोई ऐसी जमीन बेची गई है तो लोकलसैल्फ गवर्नमेन्ट मन्त्री महोदय से या म्यूनिसिपैलिटी इसके भी वे ही इन्चार्ज हैं उनसे प्रश्न करने पर पता लग सकता है। मेरे पास अभी इसकी कोई डिटेल्ड सूचना नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या किसी उद्योगपति ने यहां करखाने लगाने के लिए इस जमीन के संबन्ध में मांग की है ?

श्री जयनारायण व्यास—अभी तक मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष—श्री रिद्धिचन्द पालीवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १६२६

(प्रश्न संख्या १६२६ के बाद इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है।)

प्रश्न संख्या १६२७

शरणार्थियों को मुआवजा देने की दृष्टि से उनका वर्गीकरण

श्री चांदमल मेहता—क्या पुनर्स्थापन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) शरणार्थियों को मुआवजा देने की दृष्टि से कितनी क्लॉसेज़ में उनका विभाजन किया गया है ?

[श्री चांदमल मेहता]

(ख) किस २ क्लास के व्यक्तियों को कितने कितने रुपये मुआवजे के अब तक दिये जा चुके हैं ?

(ग) किस २ क्लास के व्यक्तियों को कब तक मुआवजा देने की योजना है ?

(घ) क्या यह सही है कि जिन लोगों के क्लेम मन्जूर हो गये हैं और मुआवजा नहीं दिया गया है उन्हें लोन देने के सम्बन्ध में आदेश दिये गये हैं ?

(ङ) यदि हां, तो ५३, ५४ के वर्ष में इस प्रकार शरणार्थियों को कितनी रकम लोन के रूप में दी गई है ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्स्थापन मंत्री)—(क) मुआवजा देने की दृष्टि से शरणार्थियों को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसकी सूची संलग्न है ।

(ख) श्रेणी एक से सात तक के लगभग ७५० शरणार्थियों को लगभग २५ लाख रुपया राजस्थान में दिया जा चुका है ।

(ग) यह मुआवजा भारत सरकार के आदेशानुसार दिया जाता है इसकी यहां कोई योजना नहीं है ।

(घ) भारत सरकार की हाल की स्कीम के अनुसार शरणार्थियों को जिनके पास पासशुदा क्लेम हैं कर्जा देने की तजवीज़ है ।

(ङ) ५३,५४ के वर्ष में उक्त प्रकार के शरणार्थियों को कोई कर्जा नहीं दिया गया है ।

श्री चांदमल मेहता—जो संलग्न सूची बताई गई है क्या उस संबंध में माननीय मंत्री जी प्रकाश डालेंगे, क्योंकि सूची मुझे नहीं बताई गई है, कि किन २ श्रेणियों में उनको विभक्त किया गया है, उसके संबंध में ।

श्री अमृतलाल यादव—जी हां, वह सूची मेरे पास में है । वह आपको देदूंगा । यदि माननीय अध्यक्ष कहेंगे तो वह लम्बी चौड़ी है पढ़ दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—पढ़ दीजियेगा । आज कोई काम नहीं है ज्यादा ।

श्री अमृतलाल यादव—"Receipients of Maintenance Allowance.

Inmates of Homes and Infirmaries,"

Page No.5

श्री चांदमल मेहता—जरा जोर से बोलें। माइक के सामने मुंह करके बोलें तो बड़ी कृपा होगी।

(हंसी)

श्री अमृतलाल यादव—"Recipients of maintenance allowance.

Inmates of Homes and Infirmaries. Cash Dolees outside Homes and Infirmaries.

Residents of Mud-Huts in the Punjab.

Residents of 27 new Townships.

Allottees of Government built properties in colonies (fresh category).

Temporary Land Allottees in Alwar, Bharatpur and Ganganagar.

Temporary Land Allottees in places other than Alwar, Bharatpur and Ganganagar.

Claimants in Jagraon, Rajkot, Khanna and Samrala Towns of the Ludhina Dist., Punjab.

Other widows having verified claims in their own names.

Widows with claims in their own names (Fresh category).

Purchasers of houses shops or p'ots from Government in Model Towns (including Chandigarh) or elsewhere in the Punjab on the instalments basis and from whom recovery of loan is still due. Claimants who have taken house building loans in the Punjab from Government from whom recovery of loan is still due.

Members of Cooperative House-Building Societies.

Fire victims of Palanpur.

Allottees or purchasers of evacuee house in Hill Stations.

Claimants granted Rehabilitation benefits.

Occupants of Evacuee houses in Delhi granted house-building loans.

[श्री अमृतलाल यादव]

Minors who are orphans.

Allottees of evacuee houses in 400 small towns.

T.B. Patients.

Disabled.

Residents in 12 States which have fewer disabled persons.

Residents in Foreign countries.

Displaced Wards of Court of Wards receiving maintenance Allowance.

Claimants granted loans from whom recovery of loan is outstanding.

Purchasers of Government built property sold by auction.

Purchasers of evacuee uneconomic property."

इस तरह से अलग अलग केटेगरीज़ की हैं :

श्री चांदमल मेहता—जिनके क्लेम्स मन्जूर हो चुके हैं उन्हें लोन किस आधार पर देने के बारे में निर्णय किया गया है ?

श्री अमृतलाल यादव—आपका मतलब मैं साफ नहीं समझा।

श्री चांदमल मेहता—मैंने यह पूछा था कि जिनके क्लेम्स मन्जूर हो चुके हैं उन्हें लोन देने के बारे में क्या आदेश हैं, तो आपने अपने जवाब में कहा है 'हां' यदि ऐसो व्यवस्था है तो मैं जानना चाहता हूं इस व्यवस्था के संबंध में कि उसका आधार क्या है ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने माननीय सदस्य को परसों जवाब दिया था, उसमें लोन्स का और नई केटेगरीज़ का कोई संबंध नहीं है। मेरे उस दिन के जवाब में आ चुका है कि शरणार्थियों की जितनी केटेगरीज़ आपको बतलाई हैं उनके वेरीफाइड क्लेम्स जिस केटेगरी में आते हैं वह क्लेम दिये जाते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्लेमों की बात हो गई। (घ) में जो प्रश्न किया गया है उसके जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने कहा है उस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि किस आधार

[श्री चांदमल मेहता]

पर जिनके क्लेम्स मन्जूर हो चुके हैं, उन लोगों को लोन दिया जाता है ; किस आधार पर, कितने क्लेम पर, कितना लोन दिया जाता है, इस संबंध में जानना चाहता हूं ।

श्री अमृतलाल यादव—आपका (घ) प्रश्न यह है :

"(घ) क्या यह सही है कि जिन लोगों को क्लेम मन्जूर हो गये हैं और मुआवजा नहीं दिया गया है उन्हें लोन देने के संबंध में आदेश दिये गये हैं ।"

तो मैंने आपसे यह कहा था कि लोन देने का संबंध क्लेम से नहीं है । क्लेम्स वेरीफाइड हैं उनके लोन देते ही हैं और जिनके पास नहीं हैं उनके लिए भी विचार किया जा सकता है और लोन दिया जा सकता है ।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिनके क्लेम्स मन्जूर हो चुके हैं उनको लोन देने के सम्बन्ध में कोई आधार निर्धारित है या बिना आधार के जितना चाहे दे सकते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—जिनके क्लेम क्या ?

श्री चांदमल मेहता—जिनके क्लेम मन्जूर हो चुके हैं उनके सम्बन्ध में कोई आधार निर्धारित किया गया है कि १।३ या १।४ उसका उनको लोन दिया जाता है । ऐसी कोई व्यवस्था है क्या ?

श्री अमृतलाल यादव—क्लेम्स का भुगतान इन केटेगरीज़ के मुताबिक होता है । उनको लोन भी दिया जाता है । यह नहीं है कि एक लाख का क्लेम है तो उसको १५०० का लोन दिया जाय या १० हजार का लोन दिया जाय । लोन का क्लेम से ताल्लुक नहीं है । क्लेम्स की भुगतान उन केटेगरीज़ के मुताबिक होती है ।

श्री चांदमल मेहता—मेरा जो प्रश्न है उससे भिन्न जवाब दिया जा रहा है । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि इतना क्लेम हुआ है तो यह लोन दिया जाय ? अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो तो बताई जाय ।

श्री अमृतलाल यादव—व्यवस्था इस तरह से नहीं है । लोन का क्लेम्स से कोई सम्बन्ध नहीं है । क्लेम की भुगतान केटेगरीज़ के मुताबिक होती है, जैसे कोई टी. बी. का मरीज़ है या गरीब है तो इन केटेगरीज़ के मुताबिक क्लेम्स की भुगतान होती है, और लोन का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है । वह तो आवश्यकतानुसार देते हैं । यह तो गारन्टी है कि उसका वेरीफाइड क्लेम है तो उसका खतरा कम रहता है कि उसके लोन का रुपया डूबेगा नहीं । अगर वह रुपया वापिस नहीं देता है तो वह क्लेम में से काट लेंगे ।

Page No.8

श्री चांदमल मेहता—जो प्रश्न का (ङ) भाग है उसका माननीय मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया। इसमें यह सिर्फ कह कर टाल गये हैं कि इसमें किशनगढ़ में किसी को नहीं दिया गया है, बल्कि वह सारे राजस्थान से सम्बन्ध रखता है। ५३-५४ के वर्ष में जिन लोगों के क्लेम्स मन्जूर होगये हैं उनको कितनी रकम लोन के रूप में दी गई है। प्रश्न (ङ) किशनगढ़ के बारे में नहीं पूछा गया है। माननीय मंत्री महोदय ने किशनगढ़ के बारे में जवाब दिया था। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ५३-५४ के वर्ष में कुल कितनी रकम उन लोगों को दी गई है जिनके क्लेम्स मन्जूर हो चुके हैं?

श्री अमृतलाल यादव—यह प्रश्न तफसील का है और इनको भुगतान भारत सरकार करती है। भारत सरकार के अफसर ही यहां आकर करते हैं। दिल्ली से उसका सम्बन्ध रहता है। इसलिये किशनगढ़ का मैंने उस दिन खास तौर से कहा था कि किशनगढ़ में नहीं दिये गये हैं बाकी जगह लोन्स दिये गये हैं। किशनगढ़ की दो एप्लीकेशन्स थीं, जिनके कन्सीडरेशन के बारे में आपको कहा था।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न बिल्कुल साफ है...

श्री चांदमल मेहता—मैं जो पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष—इस प्रश्न में यह साफ दिया गया है कि ५३-५४ में कितनी रकम दी गई है, किशनगढ़ का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, इनको भुगतान भारत सरकार की तरफ से वहां के कर्मचारी करते हैं। इतने कम समय में पूरी जानकारी नहीं बताई जा सकती है कि सारे हिन्दुस्तान में, सारे राजस्थान में लोन्स कितने दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—हिन्दुस्तान का प्रश्न नहीं है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—केन्द्रीय सरकार से यह सूचना मंगाई जा सकती थी कि कम से कम राजस्थान के लिए कितने रुपयों के लोन्स दिये गए। क्या सूचना वहां के रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट से नहीं मंगाई जा सकती थी?

श्री अमृतलाल यादव—मंगाई जा सकती है लेकिन इसके लिये इतना समय नहीं था।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—प्रश्नों के लिए १५ दिनों का नोटिस दिया जाता है। क्या इतना समय जवाब मंगाने के लिये काफी नहीं था?

श्री अमृतलाल यादव—१५ दिन नहीं मिले थे। जानकारी मंगाई गई है वह आ जायगी तब टेबल पर रख दूंगा। लम्पसम अर्ज कर दिया है कि २५ लाख रुपये दिये गये।

Page No.9

श्री चांदमल मेहता—माननीय मन्त्रीजी क्लेम्स और लोन्स को एक साथ मिला रहे हैं। २५ लाख रुपये क्लेम्स के दिये गये हैं। दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि लोन के दिये गये। वास्तव में सही बात क्या है? क्लेम और लोन को एक ही मानते हैं तो यह गलत है।

श्री अमृतलाल यादव—२५ लाख रुपये क्लेम्स के दिये गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—मेरे प्रश्न का (ङ) खंड लोन्स के बारे में है, जिन जिन को लोन्स दिये जाते हैं उनके सम्बन्ध में डिप्टी डाइरेक्टर रिहेबिलिटेशन के दफ्तर में रिकर्ड है या नहीं?

श्री अमृतलाल यादव—डिप्टी डाइरेक्टर के दफ्तर में रिकर्ड नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—तो ऐसा रिकर्ड कहां रहता है?

श्री अध्यक्ष—Reply must be exact and to the point.

श्री अमृतलाल यादव—लोन का रेकर्ड गवर्नमेंट में रहता है और क्लेम्स का भारत सरकार में रहता है।

श्री अध्यक्ष—That is not the point. लोन का रेकर्ड राजस्थान गवर्नमेंट के पास रहता है, या भारत सरकार के पास? आपने जवाब दिया भारत सरकार के पास रहता है।

श्री अमृतलाल यादव—मैंने निवेदन किया कि जानकारी अभी नहीं आ पाई है।

श्री अध्यक्ष—I will request the Hon'ble Minister not to go beside the point.

लोन्स का रेकर्ड राजस्थान गवर्नमेंट रखती है या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट?

श्री अमृतलाल यादव—रिहेबिलिटेशन का फाइनेन्स सेक्शन अलग रहता है।

श्री अध्यक्ष—I think the Leader of the House will reply all this.

एक माननीय सदस्य—He does not hold this portfolio.

श्री अध्यक्ष—May not, but he is responsible for all this.

श्री अमृतलाल यादव—मैंने आपसे निवेदन किया था कि आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

श्री चांदमल मेहता—मैं आंकड़े नहीं चाहता हूँ। सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि जो लोन दिया जाता है उसका रेकर्ड डिप्टी डाइरेक्टर रिहेबिलिटेशन के यहां रहता है या गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के यहां; यह जानना चाहता हूँ।

श्री अमृतलाल यादव—ऐसा है कि रिहेबिलिटेशन का काम गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की तरफ से राजस्थान सरकार करती है। दोनों ही जगह है। अभी फाइनल नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—रेकर्ड कहां है ?

श्री अध्यक्ष--What is the harm in confessing that the record is kept by the Government of Rajasthan ? What is the harm in admitting it ?

श्री अमृतलाल यादव—एडमिट करने में कोई गड़बड़ नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या राजस्थान सरकार की तरफ से लोन ऑफिसर नियुक्त है ?

श्री अमृतलाल यादव—रिहेबिलिटेशन का काम करने के लिये जो भी ऑफिसर नियुक्त किया गया है वह भारत सरकार की तरफ से किया गया है।।

श्री मन्तोषसिंह—राजस्थान में लोन दिया जाता है वह राजस्थान सरकार की सिफारिश पर दिया जाता है या किस तरह दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री तेजमल बापना—Considering the importance of the question will you kindly allow Shri Dilip Singh who is sitting by my side to ask the question ?

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member is reluctant to put question.

श्री अ दास गोयल—क्वेश्चन इत्तफाक से करनल दिलीपसिंहजी ने रखा, लेकिन असली नाम के नामरांश दूसरे विद्यमान हैं। यदि आज्ञा हो तो उत्तर ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—I can allow if the Hon'ble Member requests.

प्रश्न संख्या १६२८

डाइरेक्टर मेडिकल तथा हेल्थ सर्विसेज द्वारा ऑपरेशन में भाग न लेना

श्री दिलीपसिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री दिलीपसिंह]

(क) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज़ आज-कल आपरेशन के कामों में भाग नहीं लेते ?

(ख) क्या यह भी सही है कि जनता ने कई बार डाइरेक्टर को कई गम्भीर ऑपरेशन्स में भाग लेने को कहा फिर भी उन्होंने इन्कार कर दिया ?

(ग) क्या सरकार उनके इस व्यवहार के प्रति कोई कदम उठायेगी ?

श्री कुंभाराम आर्य (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) ऐसा हो सकता है।

(ग) जी नहीं, उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं है।

श्री जसवन्तसिंह—इजाजत नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री कुंभाराम आर्य—वे राजस्थान में डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज़ का काम करते हैं।

श्री जसवन्तसिंह—क्या वे डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज़ के लिए ज्यादा लाभदायक हैं या सरजन के रूप में जनता के लिए ज्यादा लाभदायक हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—वे दोनों ही जगह ज्यादा लाभदायक हैं।

श्री जसवन्तसिंह—दोनों में से किस जगह ज्यादा लाभदायक हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—डाइरेक्टर के पद के लिए ज्यादा लाभदायक हैं, तभी तो उनको उस स्थान पर रखा गया है।

श्री तेजमल बापना—क्या वे राजस्थान में एक ही सर्जन हैं। दूसरे इनके मुकाबले के नहीं हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों का विश्वास उनके प्रति ज्यादा है।

श्री तेजमल बापना—क्या इसका लाभ देने के लिए इनको इनकी पहले वाली जगह रखा जायगा ?

श्री कुम्भाराम आर्य—नहीं, सरकार इनसे अधिक से अधिक सेवा लेना चाहती है।

श्री तेजमल बापना— क्या डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज़ को एक्सपर्ट होने के नाते प्रेक्टिस करने की परमिशन दी जायगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—इस के बारे में सोचा जा सकता है। कभी कभी ऐसी परमिशन दी भी जा सकती है।

प्रश्न संख्या १६२६

बांसी [तं० नैनवा] की डकैती के डाकुओं को पकड़ने सम्बन्धी

श्री केसरीसिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार अब तक बांसी जिला बून्दी, तहसील नैनवा की डकैती का पूरा २ पता लगा सकी है ?

(ख) इस डकैती को हुए आज कितने साल का अरसा हुआ है ?

(ग) डकैती में गया हुआ माल कितनी लागत का था व इसमें से कितना बरामद हुआ है ?

(घ) इस गिरोह में कितने डकैत थे और उनमें से कितने पकड़े गये अथवा मारे गये हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) जी हां, इस डकैती का पता लगाया गया है।

(ख) लगभग दो साल।

(ग) लूटे हुए माल की कीमत ७,४१६ रु० ३ आ० थी जिसमें से ४ सेर चांदी बदली हुई सूरत में बरामद हो चुकी है।

(घ) इस गिरोह में ८ डाकू थे, जिन में से अब तक न कोई पकड़ा गया है अथवा मारा गया है।

श्री केसरीसिंह—यह कैसे मालूम पड़ा कि चांदी उसी डकैती की थी ?

श्री जयनारायण व्यास—पुलिस को सुराग मिलती है तभी पकड़े जाते हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह पुलिस की सुराग क्या चीज है ?

श्री जयनारायण व्यास—सुराग कहते हैं अंग्रेजी के 'क्लयू' को और मारवाड़ी का मुझे पता नहीं कि खास कर क्या शब्द काम में लाते हैं।

श्री अध्यक्ष—पता चलाना ही पता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या १६२६ श्री रिद्धचन्द पालीवाल।

एक माननीय सदस्य—श्री लक्ष्मण हीरांत का प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष—उसका २२ सितम्बर को जवाब दिया जा चुका है।

I think this is zero day.

एक माननीय सदस्य—हाफ एन अवर डिस्कशन को पहले ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष— Will the Chief Minister like to answer this question ?

प्रश्न संख्या १६२६

महौली ग्राम (करौली) के निकट पहाड में सीमेंट के पत्थर का भण्डार

श्री रिद्धचन्द पालीवाल—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार को विदित है कि गंगापुर से दस मील दूर करौली सब डिविजन में महौली ग्राम के पास पहाड़ में सीमेंट के पत्थर का भारी भण्डार है ?

(ख) क्या सरकार उस स्थान पर या गंगापुर में सीमेंट का कारखाना खोलने के लिये किसी पार्टी को तैयार करेगी ?

(ग) अगर हां, तो कब तक, अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—महौली या गंगापुर में सीमेंट का कारखाना खोलने के लिए किसी पार्टी को तैयार करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है, जब कि खनिज विभाग द्वारा इस बात की जानकारी हो जाय कि इस स्थान पर मिलने वाले पत्थर सीमेंट तैयार करने के लिये उपयुक्त है या नहीं। यदि ये पत्थर सीमेंट बनाने के लिये उपयुक्त पाये गये और यदि सीमेंट का कारखाना खोलने के लिये यह स्थान अन्य कारणों से भी उपयुक्त साबित हुआ तो पार्टी को तैयार करने व कारखाना खोलने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—सरकार यह कार्यवाही कबतक पूर्ण कर लेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—अभी तक जो पत्थर मिला है वह उपयुक्त और अच्छा नहीं मिला है, और सीमेंट की फेक्टरीज़ भी आस पास हैं, इन बातों को देखते हुए अभी इसमें जल्दी की आशा प्रतीत नहीं होती।

श्री श्रीदास गोयल— हाफ एन ऑवर डिस्कशन साढ़े बारह बजे तक की बजाय अभी पहले ही लेलिया जाय तो ठीक होगा।

तारांकित प्रश्न संख्या ११०० के सम्बन्ध में आधे घन्टे का वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष—We may start with the legislative business now.

एक माननीय सदस्य—Revenue Minister is not here.

श्री अध्यक्ष—The Leader of the House is here .

श्री श्रीदास गोयल–The Hon'ble Minister piolating the Bill is also not here.

श्री जयनारायण व्यास—मेरा ख्याल है कि हाफ एन आवर डिस्कशन की इजाजत पहले दे दें तो कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष—But you cannot expect the Minister at a time earlier than scheduled.

श्री श्रीदास गोयल–In case the Hon'ble Chief Minister agrees to this request.

श्री अध्यक्ष—But then the Hon'ble Member has come after a long time and I don't allow him to run away earlier.

श्री श्रीदास गोयल—इस शर्मिंदगी के बाद यह रिक्वेस्ट है आपको।

श्री अध्यक्ष— What does the Leader of the House say ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं एग्रीएबल हूं।

श्री अध्यक्ष—The Hon ble Minister is also not here.

श्री जयनारायण व्यास—I will reply the debate in that case,

श्री अध्यक्ष—We have just half an hour.

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी कई वर्षों से काम कर रही है, लेकिन वहां पर जिस प्रकार को व्यवस्था देखी गई है वह वास्तव में कई मुद्दों पर अशोभनीय है। खास तौर से ऐसी हालत में जब कि मनुष्यों के जीवन से भी वहां का मेनेजमेंट समय समय पर खिलवाड़ करता रहा हो। जब इसका कन्स्ट्रक्शन हुआ तो कई मजदूर मारे गये, एक मजदूर को चिमनी पर चढ़ाने की कोशिश की गई और वह बेचारा गरीब नीचे गिर कर मौत का शिकार हुआ।

एक और भयंकर एक्सीडेन्ट वहां पर हुआ और उसकी जिम्मेदारी सीमेन्ट फैक्टरी के मैनेजर पर है कि सरकार द्वारा फैक्टरी एक्ट बनाने के बावजूद भी खुले तौर पर उसकी अवज्ञा करते हुए उन्होंने रात्रि के समय महिलाओं को वर्क पर रखा और उसका परिणाम यह हुआ कि रोशनी वगैरह की पूरी व्यवस्था नहीं होने से और वार्निंग की व्यवस्था नहीं होने से जो रेल्वे के डिब्बे फैक्टरी के एरिया में ला कर धक्के लगा कर खाली किये जाते थे उसके लिए विशल और वार्निंग की कोई व्यवस्था नहीं होने से एक रात्रि के समय एक वेगन को इस तरह से, बुरी तरह से धक्का दिया गया कि कई लेबरर्स वहां जख्मी हो गये और उन लेबरर्स में से बड़ी सोचनीय दशा उन फेमिलीज़ की थी कि जिन फेमिलीज़ की कुछ महिलाओं ने इस संसार से कूंच किया जिनकी संख्या चार,पांच थी। और फैक्टरी एक्ट के आधार पर सरकार ने और सम्बन्धित सरकारी अधिकारियों ने यह महसूस करते हुए भी कि यह महज गैर जिम्मेदारी का काम ही नहीं है बल्कि उस मैनेजर का फौजदारी जुर्म है जिसने कि कानून की अवज्ञा की है।

श्री अध्यक्ष—But is it the subject matter of the half-an-hour discussion?

श्री श्रीदास गोयल—I am coming to that. यह भूमिका है उसकी।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—No. Pending suit is the subject matter. The rule is very clear. There shall be no formal motion before the House for voting. The Member who has given notice may make a short statement. No introductory speech is to be made.

श्री श्रीदास गोयल—All right, sir.

तो माननीय अध्यक्ष, फिर सरकार ने यह अनुभव करते हुए कि वास्तव में सीमेंट फै॰ के मैनेजर साहब ने अपनी गैरजिम्मेदाराना हरकत से, गरीब इन्सानों की मौत का बाइस हो प्रोसी-

[श्री श्रीदास गोयल]

क्यूशन के काबिल काम किया है और इसके फलस्वरूप इनको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसीक्यूट किया जाना चाहिये, और उनका चालान किया गया। चालान एस. डी. एम. के कोर्ट में पेश हुआ और यह सही चीज है कि उन महाशय को दफा २०५ जाब्ता फौजदारी का फायदा दिया गया और कोर्ट की हाजरी से माफ कर दिया गया, बावजूद इसके कि उनके संगीन जुर्म को मद्देनजर रखते हुए उनके साथ किसी तरह की मोहलत, लिबरटी नहीं की जानी चाहिये थी और इस तरह से उनको यह भी अनुभव नहीं हुआ कि अदालत में खड़े होकर जनता को यह बतायें कि इस प्रकार के कार्य करने वालों का यह अंजाम होता है। पर चार-पांच तारीखें बदलने के बाद इस केस को विद्ड्रा कर लिया जाता है। सही तरीके से विचार किया जाता तो इस तरह के केस को क्यों विद्ड्रा किया जाता? हाई कोर्ट के रूलिंग्स हैं कि किसी केस को चालान कर देने के बाद में केवल उन्हीं परिस्थितियों में उसे विद्ड्रा किया जा सकता है जिन परिस्थितियों में कि पब्लिक पोलिसी का बहुत बड़ा मामला हो, मोरेल कन्सीडरेशन का सवाल हो और कोई ऐसा कारण हो कि जिसमें सरकार जरूरी समझे कि यह एक ऐसा अहम मसला है कि जिसको आम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए इस केस को चलाना अधिक न्याय संगत नहीं होगा, तो उस केस को विद्ड्रा कर सकती है। यह ऐसा कोई मामला नहीं था। खुली कानून की अवहेलना कर एक संगीन जुर्म के बाइस वे महाशय बने थे। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार का चालान किये जाने के बाद सरकार के लिये कोई ऐसी वजह नहीं थी कि उसे विद्ड्रा करती। दीदो दानिस्ता नेग्लिजेंस से महिलाएं मारी जाती हैं तो ऐसे केस में अगर वे महाशय दो चार महीने जेल यात्रा करते, या उन पर कोई जुर्माना होता तो यह एक अच्छा उदाहरण होता।

इस प्रकार के विद्ड्रायल के पीछे मैं मानता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब उत्तर देंगे तो स्पष्ट करेंगे कि थोड़ा बैक डोर का रास्ता अख्त्यार किया गया है, जिसका कि स्पष्टीकरण भी नहीं किया गया। मैं मानता हूं कि चीफ मन्त्री साहब को तो इसका पूरा ज्ञान भी नहीं है और जो सम्बन्धित अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, सरकारी अधिकारी होने के नाते जो कर्तव्य उन्हें निभाना चाहिये था वह उन्होंने नहीं निबाहा। और इसके पीछे सवाल पेश यह है कि वह जो मैनेजर हैं वे डालमियां को रिप्रेजेन्ट करते हैं और डालमियांजी हिन्दुस्तान के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक हैं और सवाई माधोपुर की फैक्टरी उनकी है।

श्री अध्यक्ष—No such statements should be made against persons who are not present on the floor of the House.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या एम्युनिटी है?

(हंसी)

श्री श्रीदाम गोयल—तो इन सरकमस्टेन्सेज़ से साफ जाहिर होता है कि मुल्जिम को अदालत की हाजरी से माफी दिया जाना, ५, ४ तारीखें देकर मुकदमा विद्ड्रा कर लेना, ये ऐसे कदम थे जो अशोभनीय थे। उस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए जिम्मेदार कलप्रिट को जो इस तरह प्रोटेक्शन दिया गया हैं, यह अशोभनीय है। यह हाफ अन ऑवर डिस्कशन इसलिये किया गया है कि इस तरह के विड्रावल ने लोगों के सामने एक उदाहरण पेश कर दिया है कि इस तरह के वातावरण को पक्ष में लेकर अगर इस तरह का कोई केस हो तो उसको विड्रा कराने के प्रयत्न में उनको भी समय आने पर कामयाबी मिल सकती है। और सरकार अपने आदमियों के द्वारा चाहे जैसा करा लेती है।

इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह विड्रावल जिस परिस्थिति में हुआ है उसके बारे में मुख्य मन्त्री अपना स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न करेंगे।

कानून में यह वर्जित नहीं है कि डिस्चार्ज होने के बाद चालान न हो। क्योंकि इसमें डिस्चार्ज ऑर्डर होता है और दफा ४०३ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत दुबारा भी प्रोसीक्यूशन किया जा सकता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि न्याय की दृष्टि से जो गलत चीज हो चुकी है, उसको दुरुस्त किया जाय और उसका दुबारा प्रोसीक्यूशन कराना चाहिये। और जिन सरकारी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, गलत तौर से विड्रायल कराया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहियें।

मैं आशा करता हूँ कि मुख्य मन्त्री अपनी जानकारी पर इसका स्पष्टिकरण करेंगे।

श्री **जयनारायण व्यास** (मुख्य मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि इस डिस्कशन में दूसरे महानुभावों को पार्टी में लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

कु० श्री जसवन्त सिंह—नोटिस देने पर हो सकेंगे।

श्री **जयनारायण व्यास**—जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा, मैं कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर तक या श्रम मंत्री तक यह विड्राल का मामला नहीं आया होगा। यह एक प्रोसीजर का भूल हुई और हम इसकी जांच भी करवा रहे हैं और वह भूल यह हुई कि रात के समय स्त्रियों को काम पर लेने की इजाजत नहीं थी और मैनेजर ने इस सिस्टम के खिलाफ स्त्रियों को काम पर आने की इजाजत नहीं होते हुए भी स्त्रियों को आने की इजाजत दे दी और उसका परिणाम यह हुआ कि यह गलती हुई जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है। मामला चीफ इन्सपेक्टर ऑफ लेबर डिपार्टमेंट ने अदालत में पेश किया और उसके बाद में फेक्ट्री मैनेजर ने वहां के मजदूरों से बातचीत करके और उस बातचीत में उनके घर वाले भी थे, यह तय किया कि उनको इसका मुआवजा दे दिया जावे और उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के पास मामला गया तो डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ने यह समझ कर कि चूंकि मुआवजा दे दिया गया था और पार्टी इसमें रजामन्द थी, सरकार को यह लिख दिया कि अगर सर—

[श्री जयनारायण व्यास]

कार चाहती हो तो इस मामले को विद्ड्रा कर सकती है; क्योंकि लेबर कमिश्नर ने भी ऐसी सिफारिश कर दी क्योंकि मेटर आपस में रफा दफा हो गया था। पुलिस का इसमें कोई हाथ नहीं था। क्योंकि मुकद्दमा लेबर डिपार्टमेंट से चला था और उन्होंने इस बात को माइन्ड किया नहीं। आम तौर से इसमें एस. पी. से राय या इजाजत लेना जरूरी है। इस मामले के साथ साथ में जब एस. पी. से राय मांगी गई तो उसने राय देने से इन्कार सा किया क्योंकि उसके पास से मामला गया नहीं। उसने यह कह दिया कि जब मामला मेरे पास से नहीं गया तो फिर मैं राय कैसे दे सकता हूँ ? ये फेक्ट्स ऑफ दी केस हैं। इन फेक्ट्स के साथ साथ मैं यह कहूँगा कि सरकार को इस बात का बड़ा दुख है और मैं इस बात को बड़े दुख के साथ स्वीकार करता हूं कि इस मामले में मनुष्य जीवन की उपेक्षा हुई है। मगर मनुष्य जीवन की उपेक्षा होना एक चीज है और उसके बाद में सरकार क्या कार्यवाही कर सकती है, वह दूसरी चीज है। आया इस मामले को दुबारा चालू कर सकते हैं ?

दूसरा प्रश्न यह है कि इस मामले को रफा दफा करने में किसी प्रकार का कोई कन्सीडरेशन नहीं किया, यह दूसरी बात हमारे सामने है। ये दोनों बातें ऐसी थीं जिनके ऊपर पूरी जांच पड़ताल करनी थी। कानूनी तौर पर सरकार ने यह जांच कराई कि क्या यह मामला (प्रोसीडिंग) दुबारा चालू किया जा सकता है और सरकार आज इस स्थिति में है कि सरकार को कोई बाधा नहीं आने वाली है ? इसलिए मैं माननीय सदस्य को और सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मामले को वापिस लिया जावेगा और बाकायदा मामला चलेगा।

(दोनों पक्षों से 'हियर हियर' की आवाज)

अब रही दूसरी बात, वह यह है कि इसमें कोई खास धन का या किसी प्रभाव का हमारे ऊपर असर होने वाला नहीं है, लेकिन इतना जरूर हम सोच रहे थे कि अगर किसी मामले को दुबारा चलाया जावे तो कानूनी छान बीन पहले से हो जावे, ताकि आगे चलकर कोई किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हो और इसीलिए इसमें कानूनी छानबीन की गई।

अब रही दूसरी बात कि आया वाकई में बेंक डोर से इसको वापिस लिया गया है। चूंकि कम्पेन्सेशन दे दिया गया था और जजमेंट में थोड़ी गलती हो गई, मुमकिन है जजमेंट देने वालों ने ठीक समझा हो और समझते हों। उसके बारे में जांच की जावेगी और अगर यह मालूम हो जावे कि किसी ने कोई खास नीयत से या पार्टी को फेवर करने की नीयत से मामले को वापिस लिया है तो उस शख्स के खिलाफ चाहे वह कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो सरकार सख्त कदम उठायेगी।

(दोनों पक्षों की तरफ से करतल-ध्वनि)

[श्री जयनारायण व्यास]

और इस बात के लिये कभी झिझकेगी नहीं। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं और इस बात के लिये अफसोस करता हूं कि मिल मैनेजर की गलती से इन्सानी जिन्दगी का नुकसान हुआ और वह मामला ठीक अधिकारी क्षेत्र तक नहीं पहुँचा और उनके पास नहीं पहुँचने से वह मामला वापिस ले लिया गया लेकिन फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह प्रोसीडिंग्ज़ वापिस की जावेगी और मैं समझता हूं मेरे इतना कहने के बाद किसी को किसी प्रकार का डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्री भैरोंसिंह—माननीय अध्यक्ष, मुझे दो प्रश्न पूछने हैं।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member has not tabled his name —

श्री श्रीदास गोयल—इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष—कायदा यह है कि हाफ एन ऑवर डिस्कशन में जो भाग लेना चाहते हैं तो एक आदमी अपना पोइन्ट रेज करे माननीय मन्त्री उसका जवाब देंगे और जो लोग अपने आप को पोइन्ट रेज करने वाले को सहयोग देते हैं वे अपने नाम लिख कर देंगे कि हम फलां फलां मद पर प्रश्न पूछना चाहते हैं। इसलिये मुझे दुख है कि मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता।

कु० श्री जसवन्तसिंह—ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, माननीय सदस्य ने प्रश्न नहीं पूछा और अपना नाम नहीं दिया उसके लिये उनके पास ग्राउन्ड है, वह इस बात को सोचते थे कि डिस्कशन १२ बजे से १२. ३० बजे तक होगा और उस बीच में वे अपना नाम दे सकते थे।

श्री अध्यक्ष—नहीं। जब हाफ एन ऑवर डिसकशन का नोटिस देते हैं, उसी समय दो तीन आदमी जो भी उसमें भाग लेना चाहते हैं दस्तखत करके दे देते हैं। हाफ एन ऑवर डिस्कशन एलाउ हो गया उसके बाद में लोग अपने नाम ...

कु० श्री जसवन्तसिंह—I would request you, sir, that the rules donot debar and I am sorry to say that it is not the right of only those who are signatories to the notice to speak but anybody can send his name to the Speaker and it is upto the discretion of the Speaker to accept or not.

श्री अध्यक्ष--बतलावें।

कु० श्री जसवन्तसिंह—रूल ४३ (५) I would refer which says...

श्री अध्यक्ष—that is quite clear.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—"Any Member who has previously intimated to the Speaker may be permitted to put a question for the purpose of further elucidating any matter of fact." इस पर मैं निवेदन करूंगा कि अगर यह डिस्कशन १२ बजे लिया जाता तो आप उसकी इजाजत दे देते।

श्री अध्यक्ष—No. इसमें बिलकुल स्पष्ट है कि जब ओरिजिनल प्रश्न पूछा गया, रिप्लाई दिया गया और जो उससे एग्रीड हों वे हाफ एन ऑवर का नोटिस दें। They will apply to the Speaker इनमें से जिनका प्रश्न हो वे एप्लाइ करेंगे स्पीकर के पास कि जवाब इनएडिक्वेट है और हाफ एन ऑवर डिस्कशन होना चाहिये। They will associate with him. He will be supported by two or three Members और इसके बाद में इन्टिमेशन देगें प्रीवियसली जो कि एसोसिएट करना चाहते हैं। This is the standing practice of half an hour debate. On the one hand you had forced me to take it earlier today and beside that now you come with the plea that because it was to be taken after 12 O'Clock, this rule should be waived.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—This is a different matter.

श्री अध्यक्ष—As regards the standing practice I have also observed that this is the practice.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—अब तक १० मिनट बाकी हैं। Rules...

श्री अध्यक्ष—Sufficient leniency has been shown in this respect. The Members or only one Member who tables half an-hour discussion notice, is entitled to debate. He is entitled to make preliminary statement and the Hon'ble Minister is entitled to reply. But in this House as many Members as liked, made short statements and then the replies are there. I want that you should...

कु॰ श्री जसवन्त सिंह—On a point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष—This is not a point of order. this is a point of interpretation.

कु॰ श्री जसवन्त सिंह—Of course final interpretation you would give but according to me atleast it is so clear that only for purposes of elucidation if any Member wants to put question, it is not participating in the debate.

श्री अध्यक्ष—Only those Members can participate who associate themselves with the Member and put it in writing saying that they want elucidation of those points because there was evasive reply on these points. In that

Page No.21

[श्री अध्यक्ष]

case the Minister may come prepared. Half-an-hour discussion is not meant for off-hand and surprised questions which the Minister may not be able to reply. Half-an-hour discussion arises on account of evasive and inadequate replies. That is the point. the Hon'bie Member must have intimated to me that those were the points on which he wants elucidation those points would then have gone to the Minister who could have elucidated them. Putting a question, "I want, to put this particular question" and the Ministar can say, "I am not prepared to reply this becase half -an-hour discussion is only meant for elucidating what he had previously evaded. I think I am very clear.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I want to make one submission. If the debate was to take place at a scheduled time it is absolutely correct to say thatthe Hon'ble Member has no right to speak, but technically since the debate was to take place at 12,0' clock and accidentally on our request it has taken place now, he has a right. The wordings are so clear.

श्री अध्यक्ष—I think I am not clear to the Hon'ble Member.

यह हाफ एन ऑवर डिस्कशन इसलिए किया जाता है कि माननीय मंत्री जो इस सदन में प्रश्नों के कुछ ऐसे जवाब दे दें जो कि इवेज़िव हों, इन एडोक्वेट हों, या ठीक पोइन्ट पर जवाब देना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए यह प्रोसिजर है कि जिन मेम्बरों को विरोध हो वे स्पीकर के सन्मुख लिखित प्रार्थना पत्र देंगे कि यह जवाब इवेज़िव है, इनएडोक्वेट है। हम इन इन मुद्दों पर स्पष्टी कारण चाहते हैं। वे मुद्दे जब स्पीकर के पास जावेंगे यानि उनका इन्टीमेशन स्पीकर को दिया जावेगा कि इन २ मुद्दों पर उनका जवाब अपर्याप्त है तो स्पीकर की ओर से माननीय मंत्री को इन्टीमेशन दिया जायगा कि इन २ मुद्दों पर आपका जवाब अपर्याप्त है अतः आप उन पर प्रकाश डालेंगे। जब तब वे मुद्दे मिनिस्टर के पास नहीं जावेंगे वे प्रकाश नहीं डालेंगे। माननीय सदस्य यह समझ रहे हैं कि यह क्वश्चन ऑवर है। चूंकि क्वश्चन पूछा जा चुका है इसलिये कोई भी सदस्य पूछ सकता है। माननीय सदस्य को यदि पूछना था तो पहले लिख कर भेज सकते थे। आज १२ बजे हाफ अन ऑवर डिस्कशन था तो वे आज नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि मिनिस्टर कन्सर्न्ड को स्पेसिफिक नोटिस देना चाहिए। चूंकि १२ बजे हाफ एन ऑवर डिस्कशन होने वाला था और चूंकि यह डिस्कशन जल्दी हो गया इसलिए १२बजे से वे पहले पूछ सकते थे तो मैं ओब्जर्व करूं कि यह प्रश्न नहीं है। इस सम्बन्ध में स्टेन्डिंग प्रेक्टिस है। यदि फिर भी माननीय सदस्य स्पष्ट करना चाहेंगे तो मैं उनको चेम्बर में बुलाकर और स्पष्ट कर दूंगा।

श्री दिलीपसिंह—मैं भी एक सिगनेटरी हूं, अतः मझे इजाज़त दी जाय कि मैं एक दो सवाल पूछूं।

श्री अध्यक्ष—: बेक डोर से आ सकते हैं। (हंसी)

श्री दिलीपसिंह—क्या मुख्य मंत्रीजी बतायेंगे ……

कु॰श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir, If we go purely on technical grounds...

श्री अध्यक्ष—I will allow the Hon'ble Member only on the basis of the questions that he has intimated to me. If any of has questions go beyond the scope of the questions intimated, I wo'nt allow.

कु॰श्री जसवन्तसिंह—May I know whether the Hon'ble Member has given you in writing along with the original notice that he wants to raise questions ?

श्री अध्यक्ष—He has tabled four questions and therefor he can ask questions in order to elucidate these points. He can not go beyond the scope of the points which he has referred for elucidation.

कु॰श्री जसवन्तसिंह—Do I take then that his request is separate from the request made by the mover ?

श्री अध्यक्ष—Yes, Yes. There are four Members: Shri Shyamlal....

कु॰श्री जसवन्तसिंह —If by this interpretation you have given your ruling....

श्री अध्यक्ष—This is not a matter of my ruling. This is a matter of parliamentary standing practice, which is now observed in the House of Commons and the House of the People.

कु॰श्री जसवन्तसिंह—It may be so. but as far as our rules go it is directly contradictory and is in contravention of the rules which are applicable to this Assembly unless you give the decision.

श्री अध्यक्ष—No. This is how half-an-hour discussion is meant.

श्री दिलीपसिंह—इस वक्त...

श्री अध्यक्ष—आपने जिन मुद्दों के ऊपर दस्तखत किये हैं उन्ही मुद्दों पर आप पूछ सकते हैं।

श्री दिलीपसिंह—उन्ही के सम्बन्ध में...

श्री अध्यक्ष—सम्बन्ध में नहीं। यदि उन चार मुद्दों के स्पष्टीकरण में कोई कमी रह गई है तो आप पूछ सकते हैं ?

श्री दिलीपसिंह—यह दुर्घटना हुई उस समय सवाई माधोपुर के जिला मजिस्ट्रेट कौन थे, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री रामकरण जोशी—श्री कंवर बहादुर थे।

श्री दिलीपसिंह—इस दुर्घटना में कितनी मौतें हुई हैं ?

श्री रामकरण जोशी—पहले बता दिया है।

('अब और बता दीजिये' ऐसी आवाज)

तीन।

श्री दिलीपसिंह—उनको क्या मुआवजा दिया गया ?

श्री रामकरण जोशी—उनके वारिसों को कायदे के मुताबिक मुआवजा दे दिया गया है।

श्री भैरूंसिंह—एक मौत पर कायदे से कितना दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न है ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह—उठा दिया है तो जवाब देने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—मैं ऐसे प्रश्नों को रोक दूंगा।

मैं फिर ओब्जर्व कर दूं कि जो मुद्दे उठाये गये हैं उनसे सम्बन्धित मामले हैं वे ही पूछ सकते हैं। कितनी डेथ हुई हैं, क्या मुआवजा दिया गया है आदि। This is not within the scope of this.

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १६५३

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

Yes. Legislative Business. Clause 131, Shri Agrawal

(अनुपस्थित)

[श्री अध्यक्ष]

श्री चांदमल मेहता

(अनुपस्थित)

१३१ पर संशोधन पेश करने वाले हैं उनको कॉल कर रहा हूं।

श्री सोहनलाल भटनागर

(अनुपस्थित)

श्री हरिकृष्ण व्यास

(अनुपस्थित)

श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १३१ में मेरे तीन अमेंडमेंट हैं। पहला अमेंडमेंट जहां तक १२०० रुपये का सवाल है उस हद तक सरकार निश्चित करेगी कि इतनी होल्डिंग काश्तकार के पास रहनी चाहिये। उसके उपरान्त अगर होल्डिंग हैं, उसको कम करके या तो उसको लेन्ड होल्डर को दी जायगी या दूसरे काश्तकार में बांट दी जायगी।

मेरा पहला अमेंडमेंट इस प्रकार है :—

"The words 'an economic holding' be substituted for the words "a net annual income of Rs. 1,200/-".

दूसरा इस प्रकार से है :—

"The words 'exclusive of the cost of his labour and the cost of his family be deleted from proviso to part (a)."

इसके अलावा भी मेरा एक संशोधन है, उपधारा (सी) व उपधारा (डी) के बीच में एक सब क्लॉज़ जोड़ने के लिये। वह नई उपधारा होगी। उसके शब्द इस प्रकार होंगे :—

"(cc) that he is a tenant holding under a lease or for a period which has expired or will expire before the end of the current agricultural year."

तीसरा माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन इस प्रकार से है :—

लेन्ड रिफोर्म्स एन्ड जागीर रिजम्पशन एक्ट, १९५२ के क्लॉज़ १९ के उपखण्ड (३) में जिस प्रकार "immediately preceding the agricultural year 1948-49"

ये शब्द सबस्टीट्यूट हो जायेंगे।

for the words'prior to the year 1948".

[श्री जवानसिंह]

माननीय अध्यक्ष इन संशोधनों को प्रस्तुत करते हुए मेरा यह निवेदन है कि हम इस धारा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न तय करने जा रहे हैं, और जिसका असर इस कानून में काफी हद तक पडता है। धारा २६ को देखते है तो वह भी महत्वपूर्ण है और उसका काफी असर धारा १३१ में निहित है। हमें इसकी पृष्ठ भूमि की ओर ध्यान देना होगा, हम इस धारा को पास करते वक्त इसकी पृष्ठ भूमि की ओर ध्यान दिये बिना नहीं रह सकते। वह यह कि इस वक्त तक सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट आना और सरकार द्वारा यह तय करना कि काश्तकार के पास ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन होनी चाहिये, उसके बाद डिसीजन होने के बाद उस प्रकार कानून बनने वाला है। सरकार उस कमेटी की जो सिफारिशें होंगीं, उसकी जांच करके कानून पेश करेगी। क्या उसके पहले भी हमें इस कानून में इस प्रकार की बातें पास करनी है या हमने उनके सामने रखने की चीज तय शुदा करके रख ली हैं ? मेरा ख्याल है इस चीज को तय करना उन्हीं पर छोड देते। दूसरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उसके माफिक कुछ कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, बनिस्पत इसके कि हम इसके अन्दर कुछ शर्तें या सीमायें या बन्धन डालें। कायदे के मुवाफिक आगे आने वाले कानून में उसका असर पड़ेगा। हम आज इस स्थिति में नही हैं कि कितनी भूमी काश्तकार के पास रहनी चाहिये या उसके जीवन निर्वाह के लिये कितनी भूमि पर्याप्त होगी, उसको पास कितनी जमीन छोड़ दी जाय ताकि वह अपने कुटुम्ब का जीवन निर्वाह कर सके। हम धारा ३१ की ओर ध्यान दिये बिना नहीं रह सकते। हमने इसकी तहत में इस बात को मन्जूर कर लिया कि एक काश्तकार जिसके पास तीस एकड़ भूमि है उसके पास सिंचाई योग्य भूमि इससे ज्यादा नहीं रह सकती। इससे ज्यादा वह जमीन और इकट्ठी नहीं कर सकता। इन तमाम परिस्थितियों को, इन तमाम बातों को तय करने से पहले हम धारा १३१को पास करने जा रहे हैं। इसलिये माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री से, इस बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगा कि हमने इन तमाम बातों को किस पृष्ठ भूमि में मान लिया है, आगे आने वाली किसी भी कमेटी की रिपोर्ट क्या होगी, क्या इस सम्बन्ध में हमने उन तमाम बातों का निश्चय कर लिया है ? क्या हमने सोच लिया है कि एक व्यक्ति के पास १२ महीने में उसकी इनकम १२ रुपये हो सकती है ? यह रुपया उसकी तमाम फैमिली का खर्चा निकाल कर १२०० रुपये की बचत को हमने मान लिया है। कोई भी काश्तकार जिसके पास भूमि होगी ठीक हालत में गुजर बसर करते हुए उसके पास १२०० रुपये की बचत होनी चाहिये। हमको यह सोचना पड़ेगा कि वास्तविक हालत क्या है ? हमने जो प्रतिबन्ध लगाया है १२०० रुपये इनकम का, किन आधारों पर यह माना जा सकता हैं। हमारा ख्याल जा सकता है कि इनकम टेक्स की जो सीमा बांधी गई है वह ४२०० रुपये की निश्चित रकम है। इस रकम पर कोई टेक्स नहीं लिया जायगा। हमारा ख्याल दूसरी ओर भी जा सकता है, एक आदमी के जीवन निर्वाह के बाद उसके पास कितनी बचत होनी चाहिये। इन बातों में जाकर हम यहां पर काश्तकार के लिये यह निश्चित करना चाहते हैं कि इस आदमी के पास नेट इनकम १२०० रुपये होगी, उसका तमाम खर्चा निकालने के बाद। मैं सबसे पहले समझ नहीं पाया कि नेट इनकम, जो नेट इनकम हम तय करने जा रहें हैं उस नेट इनकम की परिभाषा की गई है या नहीं। इस चीज का जब तक तय न हो जाय तब तक इस प्रकार का शब्द रखना कोई

Page No.26

[श्री जवानसिंह]

मायने नहीं रखता । बाद में इसके ऊपर किस प्रकार न्यायालय न्याय करेंगे जब कि इस शब्द की परिभाषा न होने की वजह से इसमें काफी उलझनें पैदा हो सकती हैं । मैं तो इस ख्याल से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मात्रा रखी गई है यह मात्रा एक लिहाज़ से कहा जाय तो बहुत कम मात्रा होगी । हमें ख्याल होना चाहिये दूसरी साधारण बातों का जिसमें आदमी के पास अपनी जिन्दगी बसर करने के लिये कितने पैसे होने चाहियें अथवा एक खेतिहर के लिये १२०० रुपये जो नेट इनकम रखी है उससे ऊंची इनकम होनी चाहिये । या इतनी ही होनी चाहिये मेरे ख्याल से कम से कम वह इनकम तीन हज़ार से लेकर चार हजार तक तो अवश्य होनी चाहिये । ताकि उसके पास कुछ ट्रस्ट के रूप में पैसा रह सके । इसी प्रकार का हमारा लक्ष्य होना चाहिये मैं आशा करता हूं कि इस बात को माननीय मंत्री भी स्वीकार करेंगे । न केवल १२०० रुपये रख कर सन्तोष मान लें बल्कि उचित यह होगा कि जो लक्ष्य हमने रखा है वह बहुत कम है, उसकी बहुत कम राशि है । इसके अलावा दो संशोधन और हैं, वे साधारण है किन्तु हैं बहुत ज़रूरी । हमने राजस्थान जागीर रिजम्पशन एक्ट पास किया है उन धाराओं में हमने दूसरी ही पृष्ठ भूमि रखी है इसलिये वहां पर जिस ढंग से हमने जिस चीज को माना है, इस कानून के पास करते वक्त भी जब उनका जिक्र आता है तो उनको मानना आवश्यक हो जाता है । हमने जिक्र किया जागीरी रिजम्पशन एक्ट में धारा १६ के उपधारा (३) में किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, कितने वर्ष तक एक लैंड होल्डर ने काश्त की है तो वह जमीन उसको वापिस दिलवाई जायगी । उसके अनुसार ३० एकड़ भूमि जो गवर्नमेंन्ट प्रेस्काइब करेगी उससे ज्यादा भूमि न हो । जब हम इस बात को तय कर चुके हैं तो कोई वजह नहीं कि दूसरी प्रकार की कोई और निश्चित मात्रा हम तय करें । धारा १६ उपधारा (३) में, जागीरी रिजम्प्शन एक्ट में जिस चीज को मन्जूर कर लिया है उसको यहां मन्जूर करना हमारे लिये आवश्यक हो जाता है ।

इसके अलावा एक और उपधारा "सो सी" को मैंने एड करने के लिए निवेदन किया है ।

इस पूरे बिल को देख कर मुझे बहुत ही ताज्जुब हुआ कि हमने इस कानून में एक सिद्धान्त को तो मान लिया है कि कोई भी काश्तकार कुछ शर्तों पर अपनी जमीन को सबलेट कर सकता है, और वह धारा ३५, ३६ और ३७ में वर्णित है । तो अगर हमने एक सिद्धान्त को मन्जूर कर लिया है इस प्रकार के, तो यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है, कि इसमें सबलेटिंग के अधिकार को मानने के बाद में इसके लिए आवश्यक रूप से इस बात का प्रोसीजर रखा जावे कि सबलेटिंग की अवधि खत्म होती है, या उसकी सबलीज़ की टर्म्स खत्म होती हैं तो इसके बाद उसको उस जमीन से बेदखल करने के भी नियम और कानून का इसमें समावेश होना चाहिये और वह चीज, मुझे खेद है, कि इस बिल में कहीं नहीं है ।

इसलिए मेरा यह निवेदन करना है कि इस सिद्धान्त को, इस सबलैटिंग के सिद्धान्त को, अगर हमने माना है तो उसका यह ज़रूरी परिणाम है कि उसकी लीज खत्म होने के वक्त में उसको

Page No.27

[श्री जवानसिंह]

किस प्रकार से जमीन से अलग होना पड़ेगा। इसका प्रोविजन, जैसा मैंने अपने संशोधन के रूप में रखा है, उस प्रकार होना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप गौर फरमाइये कि इस ओरिजिनल बिल में जो पहले की धारा १२८ थी उसमें इस बात का प्रोविजन था और उस प्रकार का प्रोविजन रखना यहां पर जरूरी था।

यह कहा जा सकता है कि यह उपधारा पूरी की पूरी डिलीट कर दी गई है इसलिए इसके बाद में इस उपधारा का कहीं जिक्र नहीं आया। हो सकता है यह भूल से हो गया हो, पर इस आवश्यकता की ओर देखते हुये यह जरूरी है कि इस उपधारा "सी सी,, का अनिवार्य रूप से इसमें समावेश किया जावे। तभी हमने जिसे सबलेटिंग के अधिकार को माना है और जिसका जिक्र धारा ३५, ३६ और ३७ में आया है उसका पूरी तरह से पालन हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ में अपने संशोधन को इस सदन की सम्मति के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

(अनुपस्थित

(लम्बी चुप्पी के पश्चात्)

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया से) जवाब दीजिये क्योंकि कोई भी डिजायरस नहीं है पार्टेक करने के लिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय...

श्री भैरोंसिंह—अभी मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—Too late.

After three minutes I waitea and I was told nodody wants to partake.

When the Minister has stood for reply he must reply.

श्री भैरोंसिंह—मिनिस्टर साहब थोड़ा इन्तजार करके भी बोलें तो......

Page No.28

श्री अध्यक्ष—(श्री मोहनलाल सुखाड़िया को लक्ष्य करके) If you want to waiv your right ...

I do not know if he wants to waive his right. If the Hon'ble Minister wants to waive his right of reply—.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कौन ?

श्री अध्यक्ष—आप।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Not at all, मेरा राइट तो रहेगा ही।

श्री भैरोंसिंह—आप बाद में बोल लीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जिस तरह से आज तक अमल चला आ रहा है राइट वेव करके बोलने का तो अधिकार नहीं हो सकता। हां, बाद में अगर अध्यक्ष महोदय स्वीकृति दे दें तो बोल सकता हूं।

(श्री हिम्मतसिंह, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति—मुझको ऐसी इजाजत देने में दुविधा हो सकती है क्योंकि स्पीकर साहब एक बार निर्णय दे चुके हैं। मुझे इसके खिलाफ निर्णय देने में आपत्ति हो जावेगी।

श्री मोतीलाल—माननीय चेयरमेन, यह अच्छा ही है कि आप थोड़ा और लोगों को बोलने का अवसर दें।

श्री सभापति—नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह क्लॉज़ जो मैंने कल प्रस्तुत किया ....।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, कल रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय ने संशोधित क्लॉज़ सदन के सामने जिस समय पेश किया उस वक्त उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया था और यह कहा था कि लोग बोल लेंगे तब मैं कुछ बोलूंगा। पर दरअसल वे कुछ कहें इसके बाद हम कह सकते हैं क्योंकि उनके उस पर कैसे, क्या विचार हैं; जब यह हमें मालूम पड़े तभी तो हम उन पर कुछ अपने विचार सही तरीके से प्रकट कर सकते हैं, नहीं तो क्या बोलें ? उन्होंने जब यह कहा कि अभी तो मैं खाली पेश करता हूं। तो ऐसी स्थिति में हम खुद क्या बोल सकते हैं ? आपका क्या मतलब है और आप क्या बोलना चाहते हैं, यह जानने के बाद फिर हमें बोलने में सहूलियत हो सकती है। इसलिये आपके बोल लेने के बाद हमें भी बोलने की इजाजत दी जाय। यह मेरा निवेदन है।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय चेयरमेन, मैं समझ नहीं पाया कि उनकी क्या मंशा है ? वे कुछ इस पर कह लें तो इसके बाद हम बोल लें और इसके बाद ही अन्तिम रिप्लाई का राइट उनका हो सकता है। अभी तो केवल भाषा ही भाषा हमारे सामने है।

श्री सभापति—पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जब अमेंडमेंट वे मूव कर चुके हैं तो यह कोई जरूरी नहीं कि वे उस पर कुछ बोलें ही। उसकी भाषा ही काफी हो सकती है, और वह आप के सामने है। आप बोल सकते थे उसी पर। वही आपके समझने के लिए काफी हो सकती थी। इसलिये आपका जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है वह सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—कल आपने (राजस्व मंत्री महोदय ने) यह फरमाया था कि इसके बारे में बाद में एक्सप्लेनेशन दूंगा और फिर सदस्यों की राय मालूम करने के बाद में अन्तिम जवाब दूंगा; वह आपका एक्सप्लेनेशन होगा इसके बाद में हम कुछ कहेंगे और फिर आपका अन्तिम जवाब होगा और इसके बाद में मत लिये जावेंगे। इसलिये फिर उन्हें मौका दिया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय सदस्य कल मैं बोल रहा था तब उपस्थित नहीं थे। इसलिये मैंने क्या कहा और क्या नहीं कहा, यह आपको क्या मालूम हो सकता है ?

श्री जवानसिंह—कल जो अमेंडमेंट सदन में आया तो वह तो सर्कुलेशन में आया था न कि प्रस्तुत किया गया था। सर्कुलेशन में आये हुए अमेंडमेंट को मूव हुआ नहीं माना जा सकता। इसलिए अब शायद रेवेन्यु मिनिस्टर महोदय इस अमेंडमेंट को प्रस्तुत करेंगे और इसके बाद में भाषण होना तो लाजिमी हैं, जैसी कि अब तक की हमारी परम्परा रही है।

श्री मोतीलाल चौधरी—मूव होने के बाद में सदस्य उसे एक्सप्लेन तो करता ही है और इसके बाद में हमें बोलने की इजाजत है। यह हमारी परम्परा है। इसको यहां पर भी अपनाना चाहिये।

श्री सभापति—यह जरूरी बात नहीं कि वे आपको हर बात समझावें।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मेरा भी इसमें एक अमेन्डमेन्ट था। मैं देर से आया था। सुना है कि मेरा नाम कॉल किया गया था तो as a special case मुझे मेरा अमेंडमेंट अब मूव करने की इजाजत दी जाय।

श्री सभापति—नियम यह है कि जब नाम कॉल किया जावे और सदस्य उपस्थित न हों तो बाद में इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—As a special case

श्री सभापति—"As a special case" का यहां प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आज तो बड़ी जिद पर आ रहे हो साहब आप।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय चेयरमेन, १३१ वें क्लॉज़ पर जो संशोधन कल मैंने सदन के समक्ष रक्खा उसमें कोई नई बात नहीं है, कि जिसके लिये मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़े। वह अमेन्डमेंट सारा का सारा, हम जो क्लॉज़ेज़ पीछे पास कर चुके हैं और उन पर पहले के जो हमारे निर्णय हैं, उनमें से अलग अलग चीजों को यहां पर एक साथ कन्सोलिडेट करने से सम्बन्ध रखता है। इस क्लॉज़ में उन सबको एक जगह कन्सोलिडेट किया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं यह एक्सप्लेन कर दूं कि क्लॉज़ १३१ का (ए) जो भाग है वह १६ ए जो हम पास कर चुके हैं उसका Conseguential रिजल्ट ओटोमेटिकली यह होता है कि हम उन टीनेन्ट्स को इजेक्ट न करके केवल उन्हीं को कर सकते हैं कि जिनकी आमदनी सालाना १२ सौ रुपये से ज्यादा है और उस बारह सौ रुपये की आमदनी में उनकी पर्सनल लेबर के खर्चे और फेमिली के खर्चे को एक्सक्लूड किया है।

दूसरा सब क्लॉज़ यह है कि ३६ वें क्लॉज़ में जिनको हमने राइट दिया है कि वह कितनी सब लेट कर सकते हैं, कितनी नहीं, उसके बारे में प्रोवीजन है। ३७वें क्लॉज़ में इस बात का प्रोवीजन है कि जो डिसएबल्ड परसन्स हैं, दूसरे हैं और जिनको सब लेटिंग की ज्यादा गुन्जाइश दी है वह जब इजेक्ट करके जमीन पर्सनल कल्टीवेशन के लिए लेता है तो उनको इजाजत है। चौथा जागीर रिज़म्पशन एक्ट में जिस भाषा का प्रयोग किया है वह उसके पहले हिस्से के प्रोवीजो में है, वह यह कि जिस क्लॉज़ के लागू होने पर १२००) रू० वाला हिस्सा है; इस प्रकार इस क्लॉज़ में कोई नई बात नहीं है।

मेरे पूर्व एक माननीय सदस्य ने यह कहा और एमेंडमेंट्स उन्होंने मूव किया है इस चीज का कि जो सब टिनेन्ट है या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त है, उसके लिये १२००) रु० की आय में जो यह शब्द रखे हुए हैं इसके अन्दर कि "exclusive of the cost of his labour and the labour of his family" इसको इसमें से डिलीट कर दिया जाना चाहिये। ये शब्द इसमें नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि इन शब्दों को रखना आवश्यक है। इन शब्दों को डिलीट करने से इसमें कोई लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि इससे स्पष्ट बात हो जाती है कि १२०० रू० के इनकम की जमीन की बात है उसमें यह कैसे केलक्युलेट नही करते। इसके अलावा अगर दूसरा उस जमीन के ऊपर खर्च करना पडता है तो वह केलक्यूलेट हो जायगा, लेकिन यह केलक्युलेट नहीं होगा। इसके सहित १२०० रु० की लिमिट रखी गई है।

Page No.31

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

दूसरा एमेन्डमेन्ट एक क्लॉज़ और जोड़ने का था :

"(cc) That he is a tanant holding under a lease or for a period which has expired or will expire before the end of the current agricultural year."

इस क्लॉज को अगर स्वीकार कर लिया जाय तो मैं ऐसा समझता हूं कि इन सारी ही क्लॉज़ेज़ का मतलब और सब टिनेन्ट को अब तक प्रोटेकशन देने का जो मतलब है वह सारा का सारा डिफाई (defy) हो जाता है। ज्यादातर जमीन सब टिनेन्टस को इयर टू इयर हर साल रिन्यू की जाती है और उनकी जमीन पर काश्त के लिए आगे से आगे चलाया जाता है। इस क्लॉज के संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय तो फिर उसका परिणाम यह होने वाला है कि आम तौर से लोग बागों की हजारों की तादाद में बेदखलिया होंगी मैं समय समय पर सदन को वह स्पष्ट करता रहा हूं कि बेदखलियों को कॉमन बनाया जाय या वह आसान चीज हो, इसके पक्ष में हम नहीं हैं और जो पहले से जमीन के उपर खेती करते चले आ रहे है उनका उस जमीन के ऊपर हक होना चाहिए कि वे उस जमीन पर आगे काश्त कर सकें।

इसमें सब क्लॉजेज (डी) है वह इसी आधार पर लगाया गया है कि हम यह समझकर चलते हैं कि अगर किसी काश्तकार ने पहले ५ साल तक पर्सनली कल्टीवेट किया और आर. पी. टी. ओ. आने से पहले बाई चान्स किसी को काश्त करने के लिए दे दी तो काश्त करने के लिए देने का परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि किसी एक साल में जिनको उसने जमीन दे दी तो उसको वापिस नहीं मिल सके। उसने पहले पांच साल में पर्सनली कल्टीवेट किया है, वह एक कल्टीवेटर है। वह कल्टीवेटर एक साल वाले से ज्यादा इन्फीरियर समझा जाय या कल्टीवेटर नहीं समझा जाय वह जो हम कहते हैं कि जमीन पर जोतने वाले का हक होना चाहिए, उस विचारधारा के भी खिलाफ जाता है। कल्टीवेटर का हक होना चाहिए, उस विचारधारा के यह खिलाफ जाती है। इसलिए उस चीज का समावेश किया गया है कि उनको अधिकार मिले। जब यह चीज करते हैं तो जो एमेंडमेंट मूव किया गया है वह उचित नहीं होता और उस एमेंडमेंट का परिणाम यह होता है :-

"that he is a tenant holding under a lease or for a period which has expired or will expire before the end of the current agricultural year"

अगर इसको स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरी सारी सबक्लाजेज़ हैं वे सब बेकार हो जाती हैं, खास तौर से (ए) बेकार हो जाती है। उसी प्रकार (बी) का भी कोई खास अर्थ नहीं रहेगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि १६ (ए) जबकि हम पास कर चुके हैं तो १६ ए के पास करने के बाद यह (सी), (सीं) पर जो एमेंडमेंट मूव किया गया है तो उसको पास करने से बिल्कुल उसके कॉंट्राडिक्शन की एक चीज होगी और वह उचित चीज नहीं होगी।

Page No.32

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मैं समझता हूँ कि जो एमेंडमेंट मैंने मूव किया है उस एमेंडमेंट में जो ओरीजिनल बिल में (बी) क्लाज के अन्दर जो चेन्जेज किये गये हैं वे करना इसलिए आवश्यक हैं कि जब हम जागीर रिजम्पशन बिल पास कर रहे थे उस मौके पर यह बात आई थी कि मारवाड़ के अन्दर पुराने मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट के मुताबिक वहां पर १९४९ में खातेदारी राइट्स दिये गये तो अब अगर इसको ज्यों का त्यों पास कर देंगे, जैसा कि सिलेक्ट कमेटी ने किया है तो उसका परिणाम यह होगा कि वह भी इजेक्ट हो सकते हैं जिनको कि हम इजेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जिनको खातेदारी राइट्स प्राप्त हो चुके हैं उनके इजेक्टमेंट का प्रश्न खड़ा नहीं होता है इसलिये यह गुन्जाइश यहां पर की गई है। भाषा को मोडीफाई करने की बात है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है जो कि हम करने जा रहे हैं, बल्कि जो निर्णय हम पहले ले चुके हैं उन्हीं निर्णयों को इस बिल के अन्दर दोहरा रहे हैं और दोहरा कर, कन्सोलिडेट करके इस धारा में यहां पर ला रहे हैं। किसी नई बात का यदि हम निर्णय करने जा रहे हों तो मैं समझा हूँ कि एतराज की बात हो सकती है।

जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया था कि सबक्लॉज़ (ए) क्लाज़ १६ का परिणाम है, सब क्लाज (बी) ३६वीं क्लॉज का परिणाम है, सबक्लॉज (सी) ३७ वीं क्लॉज़ का परिणाम है। सब क्लॉज डी जागीर रिजम्प्सन एक्ट जो हमने पास किया है उसके परिणामस्वरूप है, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उस धारा को केवल वहां पास किया इसलिए नहीं, बल्कि उसको उचित भी मानता हूँ कि इस क्लॉज में पहले कह चुके हैं कि उनके राइट्स को ठीक समझते हैं कि जो ५ साल तक लगातार स्वयं काश्त कर चुका है उसको यह राइट होना चाहिए, कि वह उस जमीन को अपने काश्त के लिए ले ले। उस पर यह एतराज उठाया जा सकता है कि जो प्रोविजो एड किया गया है (डो) के अन्दर, वह पहले क्लॉज में नहीं था, लेकिन वह प्रोविजो लगाने का कारण यह नहीं, कि हम नहीं चाहते कि एक आदमी को इजेक्ट करके दूसरा लेन्ड होल्डर जमीन लेकर उसके होल्डिंग को बड़ा बनाये। इस बहस के दौरान में यह कहा गया कि सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। सिलेक्ट कमेटी में इस प्रश्न पर विचार किया गया है। उसके बाद हम जो मिनिमिम फिक्स करने जा रहे हैं वह क्या वाजिब होगा? मैं अर्ज करना चाहता हूँ चेयरमेन महोदय, कि सीलिंग कमेटी जो तय करने जा रही है वह मेक्जीमम लिमिट तय करने जा रही है और वह मैक्जीमम लिमिट १२०० रू की नहीं होने वाली है, वह लिमिट तो ज्यादा की लिमिट होने वाली है कि ज्यादा से ज्यादा एक आदमी के पास कितनी जमीन छोड़ी जाय। यहां पर जो हम तय करने जा रहे हैं उसको सीलिंग कमेटी के प्रोपोजल के साथ मिक्स अप करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो हमने यह गुन्जाइश रखी है कि इतनी जमीन छोड़ने के बाद एक लेन्ड होल्डर को उसके खुद के कल्टीवेशन के लिए जमीन मिल सकती है, क्योंकि उसका एक राइट रहता है और आज के दिन भी है। यह जो प्रोवीजन किया जा रहा है वह निश्चित तौर पर सीलिंग कमेटी की राय हो सकती है उससे कम है, लेकिन इसके हो जाने के बाद एक आधार रहता है। चेयरमेन महोदय, हैदराबाद में इस सम्बन्ध में ८०० रुपये की लिमिट फिक्स की है, जो कि एक व्यक्ति के पास रखी जाय। यह मिनिमम होल्डिंग है और सीलिंग

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कमेटी मेक्जीमम होल्डिंग को डील करेगी । तो ८०० रुपये की इनकम हैदराबाद में है, उसके कम्पेरीजन में हमने यहां १२००रु०का बेस इस चीज का रखा है। उसका कारण साफ है कि राजस्थान के अन्दर मैं ऐसा समझता हूं कि कुछ हिस्सों को छोड़कर आम तौर से कल्टीवेटर्स की इकानामिक कन्डीशन्स हिन्दुस्तान की दूसरी कई स्टेट्स से बेटर है । और उसके एरिया और दूसरी कन्डीशन्स और फिर उसके बाद में जो अनसरटेन्टी ऑफ क्राप्स का सवाल हमारे यहां रहता है तो उस लिमिट को हमें हायर रखना पड़ेगा । इन सारे मुद्दों को सामने रखते हुए हमने यह लिमिट १२०० रुपये रखी है । मैं समझता हूं कि राजस्थान में कन्डीशन्स ठीक नहीं है । सीलिंग कमेटी को रिपोर्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है ।

सीलिंग कमेटी के बारे में जैसा कि कई बार मैं सदन में स्पष्ट कर चुका हूं- कि सीलिंग स्वयं में मेक्जीमम लिमिट फिक्स करने वाली चीज है जब कि हम यहां पर मिनिमम लिमिट फिक्स करने जा रहे हैं कि कम से कम इतनी जमीन सब टिनेन्ट के पास छोड़ दी जाय जिससे कि उसकी आजीविका चल सके । उसकी जीविका निर्वाह से ज्यादा हो तो इस हालत में वह लेन्ड होल्डर को दे । मैं समझता हूं कि जो दूसरी तरफ (डी) क्लॉज़ के अन्दर रखा है कि ३० एकड़ इरिगेटेड और ६० एकड़ अनइरिगेटेड जमीन जिसके पास है, उसके पास अगर १२०० रु० की आमद से ज्यादा सब टिनेन्ट को होती है तो उस हालत में ऐसे लेन्ड होल्डर को वह जमीन रिवर्ट नहीं होगी। ३० एकड़ और ६० एकड़ वाली चीज जो है, वह सीलिंग की तरफ संकेत करने वाला क्लॉज़ है । इसके अन्दर जरूर यह मालूम होता है कि हमने जो प्रोविजन किया है उस चीज की ओर संकेत करते हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान की स्थिति को देखते हुए जो प्रोविजन किया गया है वह, गलत नहीं है । रेज्यूमेबल लिमिट्स को हमारे आस-पास की स्टेट्स पंजाब और पेप्सू में ट्राई किया गया, उन्होंने ३० एकड़ से रिज्यूम करने के लिये ज्यादा से ज्यादा जमीन का बिल में प्रोविजन किया और रिज्यूम करके ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं । इस प्रोविजन के आधार पर उन्होंने जो दायरा रखा वह यह था कि सीलिंग से ज्यादा तादाद नहीं बढ़े । इसी का ख्याल रखते हुए हमारे यहां भी रखा गया । सीलिंग कमेटी क्या राय देगी, क्या नहीं देगी, यह, तो रिपोर्ट आने पर देखा जायगा जो उचित हो सकता था वही लेने का प्रयत्न किया गया है । मैं समझता हूँ सीलिंग़ एरिया टू एरिया में डिफर कर सकते हैं, उस पर सोइल की कन्डीशन पर असर होगा, लेण्ड की किस्म और प्रोडक्टिविटी का भी असर होगा । और भी कई फेक्टर्स सामने आयेंगे, जिन पर विचार करके सीलिंग कमेटी निर्णय करके अपनी रिपोर्ट देगी और उस पर विचार करके गवर्नमेन्ट अपना निर्णय देगी । लेकिन यह निश्चित है कि हम आज होल्डिंग्ज़ को ऐसा नहीं करदें कि आज तो उसको बढ़ाने को कोशिश कर रहे है और कल फिर रिज्यूम करने के लिये वापिस कानून लाने की मेहनत करें । इसलिये भिन्न भिन्न बातों को देखते हुए हमारी यह कोशिश है कि होल्डिंग्ज़ को नहीं बढ़ने दें । मैं समझता हूँ कि इस क्लॉज़ में जो बातें रखी गई हैं वे सारे व्यवहारिक उसूलों का ख्याल रखते हुए, सब दृष्टिकोणों का ख्याल रखते हुए हमने रखी है । मैं आशा करता हूं, सदन इसे स्वीकार करेगा ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैं इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि यह अजीब बात मालूम होगी कि माननीय मन्त्री जी के जवाब देने के बाद मैं कुछ निवेदन करूं, लेकिन मैं एक दो बातों का स्पष्टीकरण करने के लिये प्रार्थना करूंगा और साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा कि स्पष्टीकरण इस सदन में इस वक्त शायद अच्छी तरह नहीं हो सकेगा, इसके लिये आपस में बातचीत करने की आवश्यकता है इसलिये वोटिंग इस क्लॉज़ पर पोस्टपोन कर दिया जाय और स्पष्टीकरण के बाद यदि हम उनको समझा सकें, या वे हम उनको समझा सकें, या वे हमको समझा सकें तो उसके बाद इसको रिवाइज़ किया जाय, या नहीं उसके बाद में वोटिंग करें तो अच्छा हो। इस क्लॉज़ में दो तीन बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हमारे कुछ साथी जो उधर बैठे हैं, उनसे और मंत्री जी से बात करना आवश्यक है। सबसे पहली इरेगुलेरिटी हुई है इरेगुलेरिटी नहीं करूंगा इनका ग्रूएटी मालूम हुई है कि जो ३० एकड़ या ६० एकड़ यदि लैंड होल्डर्स के पास इरिगेटेड या अनइरिगेटेड खुद काश्त को जमीन है तो उनको इजेक्ट नहीं किया जा सकता लेकिन इससे ज्यादा है तो ज्यादा जमीन वह नहीं रख सकेंगे। यह चीज उन इलाकों के लिये तो ठीक है, जहां पर्याप्त धान पैदा होता है। लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो लंबा चौड़ा फैला हुआ है। जहां की जमीन की हालत एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, खास तौर से जयपुर, कोटा और उदयपुर की जमीन का उत्पादन बहुत ज्यादा है बनिस्पत बीकानेर, जैसलमेर और कुछ जोधपुर के इलाके के। वहां पर अनइरिगेटेड ९० एकड़ जमीन किसी लैंड होल्डर के पास यदि है तो वह उसके लिये पर्याप्त नहीं होगी। मैं अर्ज करूंगा कि ९० एकड जमीन बीकानेर, जैसलमेर, चुरू की बहुतसी तहसीलें और जोधपुर की बहुतसी तहसीलों के लिये पर्याप्त नहीं होगी, क्योंकि ६० एकड़ जमीन से ज्यादा जमीन पर आम तौर में गरीब से गरीब काश्तकार भी खेती करता है, जैसा कि सब को विदित है कि तीन साल में से दो साल तो अकाल पड़ता है, और आगे के दो साल में आधा अकाल पड़ता है, फिर स्केअरसिटी होती है इस तरह से सात आठ साल में एक साल अच्छा समय आता हैं इसलिये इस पर गौर करना आवश्यक है। जो कुछ उत्पादन होगा, उसका ख्याल रखा जायगा। यह लिमिट जो ६० एकड की रखी है, वह सब इलाकों के लिए यूनिफोर्म है। यहा कई ऐसे स्थान है, जहां यह इकोनोमिकल नहीं होगी। वह सारी फेमिली के लिये तो इकोनोमिकल हो ही नही सकती बल्कि अकेले आदमी के लिये भी इकोनोमिकल होल्डिंग नहीं होगा। इसलिये यह ऐसी बात होगी कि ला पास करने के बाद डिफिकल्ट सिचुएशन हो जायगी। इस पर हमारे लिये आपस में बात चीत करना आवश्यक है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है दिलादें तो शायद इसको ठीक किया जा सकता है। इसलिये मैं कहूँगा कि इनका वोटिंग पोस्टपोन कर दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि १२०० रु० की मिनिमम इन्कम ईयरली रखी गई है। उसका भी स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। जब हम कानून बनाते हैं तो सब पहलुओं से विचार करना आवश्यक होता हैं। टिनेन्ट्स की तरफ से यह कहा जा सकता है कि १२०० रु० की आमदनी एक फेमिली के लिये है और एक टिनेन्ट के दो या तीन लड़के हैं। हो सकता है कि इस नीयत से वह अलग अलग लड़कों के लिये अलग अलग होल्डिंग करदे और यह लागू करदे कि १२०० रु०

Page No.35

[कुं० श्री जसवन्त सिंह]

उसके खुद के लिये, १२०० रुपये उसके एक लड़के के लिये १२०० रू० उसके दूसरे लड़के के लिये और १२०० रू० उसके भतीजे के लिये करदे। इस तरह से बहुत बड़ी रकम बन जायगी और इजेक्टमेंट तो होना दूर रहा जमीन पर पेशर भी बहुत बढ़ जायगा और रिलीव नहीं हो सकेगा। इसलिये इन पर दुबारा विचार करना आवश्यक है और भी कई बातें हैं लेकिन खास तौर से ये दो बातें ऐसी है जिनके बारे में निवेदन करना है। यदि मेरे मित्र रेवेन्यू मिनिस्टर मेरी बात से इत्तफाक करें तो जिस तरह से दूसरे क्लॉजेज भी मुल्तवी रखी हैं उसी तरह इसका भी निर्णय आज न देकर आगे के लिये रख दिया जाय, तो एग्रीड फोरमुला जो भी होगा या नहीं होगा, लेकिन दुबारा बातचीत के बाद इसको रखा जाय। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--माननीय चेयरमेन, विरोधी दल के नेता द्वारा जो बातें कही गई उनके बारे में निवेदन है कि मैं इस बिल के संबन्ध में समझता हूं कि शुरू से अब तक इस बात का प्रयत्न किया गया है कि जहां जहां संभव हो आपस में बातचीत करके चलें। दुर्भाग्य से इस क्लॉज़ के लिए भी सब को बुलाया था; कुछ लोग आये कुछ नहीं आये, आये वे रजामन्द हुए लेकिन बाद में यह सवाल खड़ा हो गया। लेकिन फिर भी मुझे बात करने में ऐतराज नहीं है। वैसे दो मुद्दों का ऐतराज उठाया उन दोनों मुद्दों का जवाब यहां दिया जा सकता है, यदि विरोधी दल के नेता इससे संतोष करें। लेकिन यदि बातचीत ही करना चाहते हैं तो इसको डेफर कर दिया जाय, बाद में ले सकते हैं। मुझे इसमें एतराज नहीं है।

श्री सभापति—क्लॉज़ १३१ का निर्णय, जैसा कि मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दि बिल की राय है, इस वक्त डेफर किया जाता है। आगे का दूसरा क्लॉज़ लिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसका कन्सीडरेशन डेफर हुआ या नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ अभी कन्सीडरेशन डेफर नहीं किया जाय, खाली वोटिंग डेफर किया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो बातचीत क्या हुई? बातचीत के बाद मुमकिन है कुछ संशोधन होगा तो फिर कन्सीडरेशन कैसे डेफर किया जा सकता है।

श्री जसवन्तसिंह—माननीय चेयरमेन, कम से कम कन्सीडरेशन की स्टेज के लिये मैं कुछ निवेदन करूंगा कि जहां तक मेरे प्रत्युत्तर का सवाल है, वह तो सुरक्षित रहने दिया जाय और फिर डेफर किया जाय।

श्री सभापति—श्री एच. के. व्यास यहां उपस्थित नहीं थे इसलिये वे इन बातों से वाकिफ नहीं हैं। उनके इस तरह के एतराज में मुनासिब नहीं समझता। निर्णय हो चुका है। इन बातों पर श्री जवानसिंहजी का राइट ऑफ रिप्लाई बदस्तूर कायम रहेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब कोई अमेंडमेंट मूव नहीं हो सकता ?

श्री सभापति—अभी तो गुंजायश नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एतराज हो जाय तो ?

श्री सभापति—उस वक्त देखा जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन देट केस थियोरेटिकली अमेंडमेंट मूव होने का स्टीपुलेशन है या नहीं ?

श्री सभापति—इसका मुनासिब जवाब मैं अभी नहीं दे सकता।

श्री कपिलदेव का १३२ ए पर ३१२ नं० का अमेंडमेंट है।

"Renumber the Clause 132A as Clause 132.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय चेयरमेन, मेरा अमेंडमेंट यह है कि क्लॉज़ १३२ ए. पूरे के पूरे क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय।

श्री सभापति— आपका अमेंडमेंट तो रिनम्बर करने का है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—नहीं, पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाय। पहले वाले अमेंडमेंट की बजाय मैंने यह रखा है कि क्लॉज़ १३२ ए को पूरा का पूरा डिलीट कर दिया जाय। १३२ ए. यों है:

श्री सभापति—आपका यह अमेंडमेंट अभी तक आया तो नहीं ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—कल जो अमेंडमेंट पास किये उनमें हमने यह रखा कि १३० बी. १३२ में एप्लाई करेगा, इसलिए अब इस १३२ ए. की आवश्यकता ही नहीं। कल जो क्लॉज पास किया उसके पहले दिया हुआ था इसलिए मेरा पहले वाला अमेंडमेंट ओटोमेटिकली रिडन्डेन्टहो जाता है और क्योंकि १३२ के लिए १३० बी एप्लाई करेगा इसलिए यह क्लॉज़ गैर जरूर है।

श्री सभापति—यह कहना दुरुस्त है। आप जरा तशरीफ रखिये। मैंने आपको क्लॉज़ १३२ ए. पर ३१२ नं० का अमेंडमेंट पेश करने को कहा था, अगर उसको मूव करना चाहें तो करें और नहीं करना चाहें तो वह कहिये। दूसरा अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं तो लिख कर दें।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मैं क्लॉज़ १३२ ए. पर जो मेरा ३१२ नं० का अमेन्डमेन्ट है, उसे मूव करना नहीं चाहता। जैसा कि मैंने आपको अर्ज किया मैं यह अमेंडमेंट मूव करता हूं कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय

श्री सभापति—आप लिख कर दे दीजिये।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—डिलीट करने के लिये लिख कर देने की, पहले अमेंडमेंट देने की भी जरूरत नहीं है। यह क्लॉज़ रिडन्डेन्ट है और इसे डिलीट कर दिया जाना चाहिये। इसकी शब्दावली में चेंज करने को हो तो अमेंडमेंट लिख कर देने की आवश्यकता होती है। अभी यह १३२ ए. कन्सीडरेशन में है, इस स्टेज में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह रिडन्डेन्ट है, इसलिये इसको डिलीट कर दिया जाय। इसके लिये फोर्मल अमेन्डमेन्ट की आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति—ठीक, और कोई अमेंडमेंट नहीं है, आप मूव करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उनका कहना ठीक है, इसके लिये कोई अमेंडमेंट पहले रखने की आवश्यकता नहीं। वे तो यह अमेंडमेंट रख रहे हैं कि यह क्लॉज़ ही नहीं रहे। मैं समझता हूं कि उनका कहना ठीक है। क्या और कोई बोल रहे हैं?

श्री हरिकृष्ण व्यास—वोट ले लिये जायं और एक बार 'ना' पक्ष को जीतने दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं खुद ही अंगीकार कर लेता हूं।

श्री सभापति—आप १३२ ए. पर कहना चाहते हैं?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—क्लॉज़ १३२ ए. प्रोसीजरल क्लॉज़ है जो नया एड किया गया है। वह यह कह रहा है:

"132A. Procedure- In a decree for ejectment in accordance with the provisions of section 131 the provisions of sub-section (I) of section 130 shall apply."

[श्री कपिलदेव]

कल जो हमने क्लॉजेज़ पास किये उनमें से क्लॉज़ १३० के प्रोसीजर को इसमें एडॉप्ट करें, ऐसी सूरत में यह १३२ ए. रिडन्डेन्ट हो जाता है। इसलिये इसको ओमिट कर दिया जाय। इसके लिये फोर्मल अमेंडमेंट की भी आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने इसे स्वीकार कर लिया है, इसे डिलीट कर दिया जाय।

श्री सभापति—१३२ ए. चूंकि रिडन्डेन्ट बताया जाता है और मिनिस्टर महोदय इस अमेंडमेंट को स्वीकार करते हैं, इसलिये सम्मति ली जाती है कि क्या इसे डिलीट कर दिया जावे ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३२ ए. को डिलीट करने की आज्ञा प्रदान की गई। क्लॉज़ १३२ ए. विधेयक से पृथक हुआ।

(विराम)

क्लॉज़ १३२ बी., श्री एच. के व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, मेरा भी ऐसा ही छोटा सा संशोधन क्लॉज़ १३२ बी. को डिलीट कर दिया जाय। इसका कारण यह है कि जो फेक्ट्स १३२ ए. के थे, जिसकी वजह से उसे डिलीट कर दिया, वहीं १३२ बी. के हैं। इसका मतलब यह है कि १३१ जो पीनल क्लॉज़ है और उसके लिये जो प्रोसीजर है वही १३२ के सिलसिले में यह जायगा। वह कहता यह है कि :

"The provisios of sections 131 shall apply to tenants of Khudkasht with the modification that for the expression 'landholder' the expression 'holder of Khudkasht' shall be substituted."

तो जब जागीरें कोई रिज्यूम हो जायंगी तो इसके बाद ऑटोमेटिकली ही एक काश्तकार खातेदार के बराबर हो जायगा। लैंड होल्डर के रूप में वह आगे आयेगा, ऐसी सूरत में इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। दोनों हालतों में १३२ बी की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे डिलीट कर दिया जाय।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय चेयरमैन, जो कुछ श्री एच. के. व्यास ने कहा है वह बिल्कुल सही है। ऐसा ही मेरा भी एक एमेंडमेंट है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय चेयरमैन, जो जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव रखा है वह मुझे स्वीकार है।

श्री सभापति—क्लॉज़ १३२ बी में श्री एच. के. व्यास का एमेंडमेंट है कि उसे डिलीट कर दिया जावे। इसको मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल ने मन्जूर कर लिया है। क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

The amendment on Clause 132 B is accepted, and clause 132 B is deleted.

(विराम)

क्लॉज़ १३३। श्री एच. के व्यास। Your amendment is No. 413 and it is considered as one amendment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमैन, मेरे दो ऑल्टरनेटिव एमेंडमेंट्स हैं। पहले निगेटिव एमेंडमेंट मूव कर लूं या एक के बाद दूसरा। "Or in the alternative". That means my second amendment is contingent on the decision of the first.

श्री सभापति—आप एक साथ ही मूव कर लें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक तो यह है कि उसको डिलीट कर दिया जावे। इसको मूव करने के बाद दूसरे की कोई जरूरत नहीं।

श्री सभापति—बहतर यह होता कि आप अलग अलग एमेंडमेंट देते।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने तो अलग अलग ही दिये थे, ऑफिस की कारगुजारी है।

श्री सभापति—ऑफिस की कोई कारगुजारी नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने तो दोनों अलग अलग ही दिये थे। यह ओरिजिनल में ...

श्री सभापति—यह वोटिंग के समय कन्सीडर किया जावेगा। अभी आप दोनों पर एक साथ बहस कर लें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, मैं इस क्लॉज़ में पहला संशोधन तो यह रखना चाहता हूं कि इसको डिलीट कर दिया जावे। डिलीट करने से मेरा जो संशोधन है, उसका क्या तात्पर्य है, वह मैं आपको साफ कर दूं। इस क्लॉज़ में हमने केवल एक बात का इन्तजाम किया है कि कोई ट्रेसपासर होगा या हुआ तो उसको उस जमीन से बेदखल कर दिया जावेगा और उससे लगान की रेट का चार गुना पैसा भी उससे वसूल किया जावेगा। मेरा ख्याल है कि अगर कोई ट्रेसपासर है तो उसे बेदखल करने का अधिकार देते हुए एक्ट में बड़े भारी क्लॉज़ रखने की जरूरत नहीं क्योंकि जो ट्रेसपासर है उसको तो नेचुरली आप बेदखल कर सकते हैं, यह बात तो नोरमल कोर्स ऑफ लॉ में है। प्रश्न यह रहेगा कि वह ट्रेसपासर है या नहीं। इस बात को कोर्ट तय करेगी और जब तक वह तय नहीं होगा ट्रेसपासर नहीं होगा। जब कोर्ट तय करेगी तब होगा। ऐसी हालत में यह सारा का सारा क्लॉज़ रिडन्डेन्ट हो जाता है। आप यह कहेंगे कि अमुक व्यक्ति ट्रेसपासर है उसको निकाल दिया जावे। आपको उसके लिये साबित करना पड़ेगा कि वह ट्रेसपासर है। यदि आपने यह साबित कर दिया कि उसका कोई उस जमीन पर काबिज रहने का हक नहीं है तो ऑटोमेटीकली वह ट्रेसपासर होगा और उसको उस जमीन से बेदखल किया जा सकेगा। आपने इस क्लॉज में कुछ पेनल्टी प्रोवाइड की है। मैं आपका ध्यान क्लॉज़ १३३ के सब क्लॉज़ (१) पार्ट (ए) की तरफ दिलाऊंगा। अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें यह साफ लिखा है :

"also to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such pos-session a sum which may extend to four times the annual rent calculated in accordance with the sanctioned rent rates," etc. etc.

अब यह प्रोविजन रख कर हम क्या कर रहे हैं? हम किसी मेटर को बगैर विचार किये एक मुद्दे पर आज फैसला दे रहे हैं। दो आदमी हैं। उनके बीच में पजेशन के सिलसिले में कुछ झगड़ा हो गया। एक सोचता है कि उसको उस जमीन पर काबिज़ रहने का अधिकार है और दूसरा यह सोचता है कि उसको उस जमीन पर काबिज़ रहने का अधिकार है। वे दोनों कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट आज यह निर्णय करती है कि फलां को काबिज़ रहने का अधिकार है। दूसरा व्यक्ति जो उस पर काबिज़ था वह उस दिन से ट्रेसपासर बन गया। लेकिन उस दिन से हम यह करना चाहते हैं और यह कहते हैं कि कोर्ट ने आज अपना फैसला दिया लेकिन तुम जब से इस जमीन पर काबिज़ हो तब से आज तक चौगुना लगान अदा करो। यह चीज़ अन्डर्स्टुड रहे, जिसके लिये उसको कोई ज्ञान नहीं था, कि वह जमीन उसकी नहीं है और उसको काबिज़ रहने का अधिकर नहीं है। वह तो यही सोचता था कि उसको उस जमीन पर काबिज़ रहने का अधिकार है। उस जमीन के बारे में उस व्यक्ति का बोनाफाइड बिलीफ रहा। उसके बाजाय आप उसको यह कहें कि तुमने ४ वर्ष तक काश्त की है और चूंकि अब कोर्ट ने तुमको ट्रेसपासर करार दे दिया है, तुम उस समय का चौगुना लगान दो। यह एक एब्सर्ड प्रोपोज़िशन है। बगैर जानकारी के उस शख्स को किसी प्रकार की सजा देना और उस व्यक्ति से चार गुना लगान लेना और यह कानून बनादें कि पहले का भी लगान तुमको देना होगा, ठीक नहीं। जब उसको इस बात का इल्म नहीं था कि आया उसे जमीन पर काबिज़ रहने का अधिकार है या नहीं। वह तो यह समझ कर रहता था कि उसको जमीन पर काबिज़ रहने का अधिकार है। तो ऐसी हालत में चौगुना और पिछले वर्षों का लगान लेना मैं समझता हूं कि

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अन्याय पूर्ण बात होगी और इसी वजह से मैंने यह संशोधन किया है ताकि कोई ऐसी वंचित परिस्थिति पैदा नहीं हो।

तीसरी चीज में यह अर्ज करूंगा कि कुछ जमीन सरकार की पड़ी है और मैं चाहूंगा कि इस पर भी गंभीरता से गौर किया जावे। जमीन पड़ी है और काश्तकार लोग जमीन के लिये मांग करते हैं कि जमीन दी जावे लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार के अधिकारी या तो ढिलाई की वजह से या और कोई कारण से समझलें, जमीन देते नहीं और अगर देते हैं तो उस खूबी के साथ कि एक आदमी को एलोट कर दी। उसमें एलोटमेंट कमेटी की राय शामिल हुई या नहीं। उसके बाद प्राइवेटली देखा कि यह ज्यादा हायर देता है तो वे दूसरे के नाम बदल देते हैं। इस तरह की परिस्थितियों में यह होता है कि जो आज काश्त करने वाला है वह लगातार कागजों में ट्रेसपासर बनता जावेगा। उसको तो यह अधिकार होने चाहिये कि उसको जमीन से नहीं हटाया जावे। उसको यह अधिकार तो मिलने दूर रहे, उस जमीन से कागजों में इन्द्राराज नहीं होने के कारण उसको हटा दिया जावेगा और बाद में यह कहा जावेगा कि तुम ट्रेसपासर हो, तुमने खेती की है, इसलिये चार गुना लगान दो। ऐसी बातें हो रही हैं और विशेष कर गंगानगर जिले में बहुत हो रही हैं। परवाने के नाम से फाइन और फोर्फीचर लगाये जा रहे हैं। अगर किसी पड़त जमीन पर काश्तकार ने बगैर अधिकार के काश्त कर भी ली तो क्यां हुआ ? मान लें कि उसने बगैर इजाजत के बीज डाल दिया, फसल पैदा कर दी। आप उसको बेदखल कर देंगे। आप जानते हैं कि जमीन अनाज पैदा करने के लिये ही होती है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि उसको उस जमीन से बेदखल करना बिलकुल अन्यायपूर्ण चीज़ होगी। और इन कारणों की वजह से मेरा पहला संशोधन यह है कि इस क्लाज़ को डिलीट कर दिया जाय।

अब दूसरी परेशानी मेरे सामने यह है कि चेयरमेन महोदय ने आदेश दिया है कि मैं सभी अमेन्डमेन्ट्स एक साथ प्रस्तुत कर दूं। और इसी वजह से इस खतरे को महसूस करते हुये कि मौजूदा मेरा यह संशोधन न माना जाय और यह खतरा न सिर्फ सही है लेकिन यह आवश्यकता से ज्यादा सही है क्योंकि मुझे रोज का अनुभव है, इसलिए मैंने प्रिकॉशन के तौर पर पूरी तरह सही न माना जाय और अकलबन्दी की बातों को भी न माना जाय, जहाँ तक कि उनका मानना जरूरी है .....

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आज आपने खास तौर पर पार्टी स्पिरिट दिखाई है, ट्रेसपासर्स की हिमायत करके।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—पार्टी स्पिरिट तो नहीं दिखाई है, पार्टी स्पिरिट की जानकारी दी है। मुद्दों पर फैसला होता है, किन्तु किसानों की सही हालत पर फैसला नहीं होता है।

तो मैं जो ऑल्टर्नेटिव संशोधन है उसको प्रस्तुत कर दूं, हालांकि मेरे पहले संशोधन की कीमत उससे कम नहीं होती है। दूसरा संशोधन यह है कि

"In Sub-clause (1), part (a), line one, delete the words 'or retained'.

(b) Iu line five, delete the words commencing from " and also to pay a penalty......,to the end of the part (a) of the clause.'

अगर यह भी न माना जाय तो उसकी एवज़ में......

श्री जवानसिंह—Is there any limit to the alternatives ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—According to the rules of procedure and law of amendments there is no limit.

श्री कपिलदेव—That simply shows, कि आप अपने दिमाग में स्थिर नहीं हैं कि यह होना चाहिये या नहीं, you can move anything.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा दिमाग तो बिल्कुल स्थिर है किन्तु ज्योतिष विद्या मेरे दिमाग में नहीं पहुँची है कि मैं अन्दाज लगा लूं कि उधर बैठे हुए माननीय सदस्य जब कि व्हिप का हाथ उन पर है, वे क्या मान लेंगे ? इसलिए मैंने यह रखा है कि वह नहीं मानें तो यह मानें। मेरा ख्याल है कि इस दृष्टिकोण से इन अमेन्डमेन्ट्स की ओर गौर किया जायगा। तो अमेन्डमेन्ट नम्बर बी......

श्री सभापति—It is a fancy shop of amendments.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is why I suggested that my negative amendment must be voted first so that I may be able to move the other alternative amendment. That is the procedure.

श्री सभापति—I don't stop you from moving your amendments.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Pardon, Sir ?

श्री सभापति—I do'nt stop you from moving your amendments.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The Chairman is putting me in a slightly difficult position.

श्री सभापति—Your one amendment has not been moved as yet.

श्री हरिकृष्ण व्यास—So I am moving it, Sir. My amendment No. (c) is:-
" In line eight, substitute 'one and a quarter' in place of the word' 'four '. "

ये जो संशोधन हैं उनका सारांश मैं बता दूं कि उनमें खास तथ्य हैं। माननीय सदस्य जो बात कर रहे हैं उनकी तरफ इशारा करके मैं यह कह रहा हूं।

('मुगालता दे रहे हैं,' ऐसी आवाज)

श्री कपिलदेव अग्रवाल—उनका ख्याल है कि आप मुगालता दे रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि जहां आपने ट्रेसपासर्स के सिलसिले में प्रोविजन किया है वहां "If he has tsken possession" तक तो ठीक है, किन्तु 'or retained' इन शब्दों को हटा दिया जाय। मान लीजिये कि किसी को एक साल के लिए मियादी तौर पर जमीन आपने दी। एक साल जिस दिन बीता उसके बाद कोई किसी किसान, काश्तकार को पजेशन होल्ड करने का अधिकार नहीं है, किन्तु रेस्पोन्सिबिलिटी लैन्ड होल्डर की है कि वह उसका कब्जा ले ले। 'After having retained the possession'' यह काश्तकार की जिम्मेदारी नहीं है कि यदि उसने १६ जुलाई को जमीन ली है एक साल के लिये और अगली १६ जुलाई को मियाद खत्म हो जाने पर लेण्ड होल्डर के पास पहुंचे पानडी लेकर कि मियाद खत्म हो गई है, तो मुझे कानूनी अधिकार नहीं है कि मैं आगे इस जमीन को रखूं; इसलिए आप अपनी जमीन सम्हालें। काश्तकार तो काश्त करता जायगा जब तक कि लेण्ड होल्डर उसको नहीं लेगा। इसलिये tenants carrying over करता रहेगा। तो इस हालत में मौजूदा काश्तकार जो करता आ रहा है और जिसके पास से जमीन नहीं लीं गई है उसको भी हम ट्रेसपासर करार दे देंगे। तो ऐसा संशोधन चूंकि टेसपासर्स की परिभाषा में कर दिया है इसलिए यहां भी आवश्यक है कि ऐसा करें।

मेरा दूसरा जो संशोधन है उसका ताल्लुक फाइन से है। यह मान लीजिए की पजेशन डिटेन कर लिया without proper authority; जिसका मतलब यह हुआ कि खाली जमीन पड़ी है, काश्तकार ने काश्त के लिए कब्जा कर लिया। फाइन जो आप करेंगे फोर टाइम्स की एवज में यहां one and a quarter times कर दिया जाय। फोर टाइम्स फाइन ज्यादा है। इसीलिए मैंने नोमिनल फाइन तजवीज किया है। यह फोर टाइम्स फाइन ग्रो मोर फूड को भी डिस्करेज करने वाला है।

Page No.44

श्री मथुरादास माथुर—Right, right.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अनाज का सवाल हल करने के लिए यदि कोई मदद करे तो आप उसको इस तरह हेविली पिनेलाइज़ करें कि ताकि उसको काश्त करने का इन्सेन्टिव ही नहीं रह जाय। इसी प्रकार फिर 'बी' है उसमें भी मेरा संशोधन यह है कि: "if he has prevented any other person from occupying land duly let out to such person, etc. etc."

In line six उसमें भी फोर टाइम्स डेमेजेज़ के लिए रखा गया है। यदि रेन्ट के अलावा है तो रेन्ट तो उसको देना पड़ेगा और उसके अलावा फिर फोर टाइम्स। इसलिए मैंने फोर टाइम्स के बजाय one and a quarter time रखा है ; 25%more. रेन्ट देगा और सवाया डेमेजेज़ के लिए देगा। २५ पर्सेन्ट पर्याप्त है। तो ये मेरे संशोधन हैं, चाहें आप उनको ट्रेसपासर्स के हक में कहें, किन्तु जिनको आप ट्रेसपासर्स कहते हैं, और जो वास्तव में अमल काश्तकार हैं उनकी तरफ से मैंने मूव किया है। उन पर गौर करके ये मंजूर किये जावेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

श्री सभापति—श्री तनसिंह।

(विराम)

He is not present, श्री कपिलदेव अग्रवाल।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय चेयर मेन....

श्री सभापति—एक अमेन्डमेन्ट पहले है और एक अमेन्डमेन्ट नं० ३१४ है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मेरे इस क्लॉज़ पर दो अमेन्डमेंट्स हैं। पहला यह है कि सब-क्लॉज़ (बी) में ये शब्द हटा दिये जांय,

"(a) In sub clause (i) for the words 'senctioned rent rates' in the two places in which they occur the words 'settlement rates' be substituted."

दूसरा मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि सब क्लॉज़(१) के प्रोविज़ों में :

"For the word, figure, letter and brackets' sub clause (1) (a)' the words, letters, figure and brackets 'clause (a) of sub section (1) be substituts".

पहले अमेन्डमेन्ट का मतलब यह है कि अगर कोई ट्रेसपासर जिसका कानून जमीन पर कब्जा रहने का अब अधिकार नहीं और अगर वह अपने लैंड होल्डर को खुद जमीन वापिस नहीं करता है उसको भी चार गुना पेनाल्टी देनी पड़ेगी और उसको ट्रेसपासर समझा जायगा। तो मैं

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

यह अर्ज करता हूं कि जिस वक्त ट्रेसपासर की परिभाषा पर बहस हो रही थी, उस वक्त भी मैंने सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था और आज जब कि जमीन का सेटलमेन्ट पूरी तौर पर नहीं हुआ है, आज जब कि जागीरों का पूरी तौर पर पुनर्ग्रहण नहीं हो पाया है, न लैंड होल्डर द्वारा किसी किसान को पट्टे दिये जाते हैं, और न रसीद ही दी जाती है, तहरीर में उनके पास कुछ नहीं, जिससे यह पता चल सके कि वह उस ज़मीन पर कितने वर्ष से काश्त कर रहा है, इयर टू इयर कर रहा है, या ४० वर्ष से कर रहा है ! तो ऐसी हालत में लैंड होल्डर यह कह कर कि मैंने एक फिक्स टर्म के लिये एक किसान को ज़मीन दी है और वह टर्म खत्म हो रही है, इसलिये उसको बेदखल कर दिया जाय और उसको ट्रेसपासर करार दिया जाय। ऐसी स्थिति हमने होने दी, क्लॉज़ को इस तरह से रख कर, तो माननीय चेअरमेन हजारों की तादाद में इस किस्म के लैंड होल्डर के होंगे और उन गरीब किसानों के पास काश्त करने के सिलसिले में जिनके पास कोई तहरीरी सबूत नहीं है, उस समय में विषम परिस्थिति सामने आ सकती है। यह सवाल पैदा हो सकता है कि आया यह काश्तगार परमानेन्ट काश्तकार है और फिक्स्ड टर्म के लिये काश्तकार नहीं। जहां क्लॉज़ १६ में यह अधिकार देते हैं कि जिस दिन यह एक्ट पास होगा उस दिन तक जो शख्श एज़ ए टिनेन्ट जमीन काश्त करता होगा उसको खातेदार के हक दे रहे हैं; एक तरफ तो हम यह कानून बना रहे हैं, अगर मान लीजिये २४ नवम्बर, १९५४ को यह कानून हो गया जहां एक तरफ यह कानून बन रहा है, २४ नवम्बर ५४ तक जो काश्तकार बहैसियत टीनेन्ट काश्त करता होगा वह खातेदार टीनेन्ट बन जायगा। दूसरी तरफ यह कानून बना रहे हैं कि जो १६ जुलाई, ५४ को खत्म हो गई है, जो २४ नवम्बर तक जो काबिज है उसको ट्रेसपासर करार काबिज दिया जायगा। ये दोनों क्लॉजेज़ एक दूसरे से विपरीत हैं और सारे टिनेन्सी लॉ को खत्म करने वाली हैं। एक तरफ हम यह कानून बनाते हैं कि जब तक इस प्रकार का दावा न किया जाय, इजेक्टमेन्ट या बेदखल नहीं हो सकता और दूसरी तरफ जो कानून तैयार होता है अगर कोई काश्तकार खुद जाकर खुद लैंड होल्डर को जमीन नहीं संभलाता है, उसे ट्रेसपासर करार देकर बेदखल कर दिया जायगा। इसलिये ये क्लॉज़ेज़ बहुत गलत हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए माननीय चेयरमेन, ट्रेस पासर की परिभाषा का जब सवाल आयगा उस वक्त or has failed to deliver possession of any land to the person for the time being entitled there to in accoadance with the provisiohns of this Act." इसको डिलीट कर दिया, इसलिये मैं यह समझता हू कि यह भी डिलीट कर दिया जाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि इसका डिलीट करना इसलिये भी आवश्यक है कि हमने ट्रेसपासर की परिभाषा में इसे डिलीट कर दिया था। अगर यह कायम रहता है, अगर ट्रेस पासर नहीं आता है तब भी स्पेसिफिकली मेन्शन करें, अगर कोई ऐसा किसान ट्रेसपासर की तौर पर नहीं आता है लेकिन वह होल्डओवर करता है तो उसको चार गुना पैनेल्टी देनी पड़ेगी, बावजूद इसके कि ट्रेसपासर न हो। इसलिये भी यह आवश्यक हो जाता है कि इस डेफीनिशन के हटाने के बाद भी यह प्रोविजन हटा दिया जाय। आशा है, माननीय मन्त्री इस पर गौर करेंगे और इन शब्दों को हटा देंगे।

Page No.46

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

एक प्रश्न यह पैदा होता है कि जैसी कि एक तरमीम जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखी है कि क्लॉज़ १३३ हटा दी जाय, उस सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ कहा मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और उनकी बातों को सावधानी से समझने की कोशिश कर रहा था। माननीय चेयरमेन, मेरे मन में बार बार यह ख्याल आता था कि आखिर माननीय मित्र किसकी हिमायत करना चाहते हैं, क्या उन आदमियों की करना चाहते हैं, जो शख्स दूसरे की जमीन पर जबर्दस्ती काश्त कर लेता है, या माननीय मित्र उन किसानों की हिमायत कर रहे हैं जो वास्तव में किसान नहीं और जिन्होंने वायोलेन्स या नोन वायोलेन्स, किसी भी तरीके से किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया। क्या हम उन लोगों को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं जिन लोगों ने जबर्दस्ती दूसरों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। मेरे माननीय दोस्त यहां तक कह गये कि इस तरह से करके हम हमारे प्रोडक्शन में मदद देंगे और फूड प्रोब्लम को सोल्व करेंगे। एक किसान जो शान्तिपूर्वक अपनी भूमि पर काश्त कर रहा है और दूसरा जबर्दस्ती उस पर काश्त करने देना नहीं चाहता और उसको बेदखल करने का प्रयत्न करता है। जैसा कि मेरे लायक दोस्त ने कहा उससे फूड प्रोडक्शन बढ़ेगी, मैं तो यह समझता हूँ यह तो जहां से उनकी पार्टी की शुरुआत हुई है वहां पर ऐसी कोई बात नहीं कि जो शान्तिपूर्वक काश्त करता हो उससे भूमि छीन कर दूसरा जबर्दस्ती उससे छीन कर काश्त करता है, तो उससे फूड प्रोब्लेम सोल्व होती होगी। इससे तो भूखों मर जाना अच्छा समझते हैं। आपने यह भी कहा उसकी जगह सवाया लगान कर दिया जाय बजाय चार गुना के। अगर कोई शख्स किसी जमीन पर जबर्दस्ती काश्त कर लेता है तो उसको यह छूट हो कि चार गुना लगान के बजाय चोथाया लगान देता रहे तो इसके लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि कानून इस किस्म का होना चाहिये कि जो लोग अपराध करे या किसी को अपनी जमीन से रोकता हो उसको सख्त सजा मिलनी चाहिये। मेरे ख्याल में चार गुना जो रखा है वह बहुत कम है। आखिर हमको ट्रेसपासर को डिस्करेज करना है; ऐसे लोगों को प्रोत्साहन नहीं देना है जो दूसरों की जमीन पर जबर्दस्ती काश्त करते हैं या दूसरों के रास्ते में बाधा उपस्थित करते हैं। ट्रेसपासर के लिए कानून और सख्त करना चाहिये। मेरा ख्याल है कि फोर टाइम्स की जगह अगर सिक्स टाइम्स कर दिया जाय या टेन टाइम्स भी कर दिया जाय तो कोई बुरा नहीं समझा जाना चाहिये।

मेरे माननीय मित्र ने एक और संशोधन रखा कि जो इसमें :

"If he has taken or retained possession of any land without lawful authority, to ejectment on the issue of a notice. etc. etc.

उसमें से 'or retained" शब्द को हटा दिया जाय। जिस वक्त उन्होंने यह बात कही उन्होंने यह भी कहा कि हमने ट्रेसपासर की डेफिनिशन में इन शब्दों को हटा दिया है। मैं यह समझता हूँ यह उनकी भूल है, हमने 'or retained' शब्द ट्रेसपासर की परिभाषा से नहीं हटाये हैं। 'or retained' शब्दों का रखना बड़ा आवश्यक है। आपको यह मानकर चलना चाहिये कि अगर कोई किसान जो होल्ड ओवर करता है, इन शब्दों के रहने से ट्रेसपासर नहीं हो सकता। क्योंकि वह उस-

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

जमीन को अकोर्डिंग टू दी प्रोविजन्स टू दिस एक्ट रख रहे हैं । हमने जो क्लॉज़ पेश किया है उसमें यह लिखा हुआ है :

"No tenant shall be ejected from his holding otherwise than in accordance with the provisions ot this Act."

कोई किसान जिसका कि टर्म एक्सपायर हो चुका है, अगर उसका लेन्ड पर कब्जा है तो वह इस कानून की तहत बेदखल होगा, वह बिना कानून के बेदखल नहीं किया जायगा या उसके लिए दावा किया जायगा जिसके लिए उसको नोटिस दिया जायगा जैसा कि इस एक्ट में प्रोविजन है । जब तक बेदखल नहीं होगा, अनलॉफुल पजेशन नहीं हो सकता, 'retained possession" अन लाफुल नहीं हो सकता । जोधपुर से जो माननीय सदस्य तशरीफ लाये हैं, जिनको कि यह आशंका है कि इससे गलत एक्ज़ोक्युशन हो सकता है, सही नहीं है, कभी भी इसका आशय दूसरा नहीं निकल सकता और ऐसी स्थिति में 'or retained possession' आवश्यक है ।

यह क्यों आवश्यक है माननीय चेयरमेन, मैं इसका उदाहरण उपस्थित करता हूँ । हमने ट्रेसपासर के लिए कोई मयाद मुकर्रर नहीं की है। जिस शख्स ने आज एक जमीन पर नाजायज़ कब्जा कर लिया है उसको हम यह कभी भी अधिकार नहीं दे सकते कि अगर एक शख्स ने ट्रेसपास कर लिया है तो इसके बाद अगर यह रिटेन करता है तो उसको टिनेन्ट का स्टेटस दे दिया जावे । यह जोधपुर से आने वाले मेरे माननीय सदस्य का कहना है ।

तो ज़िस शख्स ने कानून की खिलाफवर्जी की है, एक टिनेन्ट के या ओक्युपाइड और अनओक्युपाइड लैंड पर नाजायज़ तौर से दखल किया है, किसी के अधिकार पर हमला किया है, उसको हमने कोई अधिकार नहीं दिया है । वह हमेशा के लिए ट्रेसपासर रहेगा । टिनेन्ट का दर्जा वह कभी हासिल नहीं कर सकता । ऐसी स्थिति में हम उसे कभी कोई रियायत नहीं दे सकते । उसे अगर बारह महीने, दो बरस भी हो चुके हैं तो वह इजेक्ट किया जा सकता है । कानून में हमने बारह साल का समय अवश्य रखा है कि अगर वह बारह साल तक उस जमीन पर काबिज़ रह जावे तो उसको टिनेन्ट का अधिकार दिया जा सकता है । ऐसी स्थिति में अगर 'retained possession' शब्द हटा दिये जावें तो इसके लिए मैं अर्ज करूंगा कि यह सारा क्लॉज़ ही फिर बेकार हो जाता है और उस शख्स को जिसने एक गलत तरीके से ट्रेसपास किया है यह समझने का मौका दिया जावेगा कि चलो मैं तो अब एक टिनेन्ट का दर्जा हासिल कर चुका हूं क्योंकि हमने उसके लिए कोई मयाद मुकर्रर नहीं की है । इसलिये ये शब्द तो नहीं हटाये जाने चाहिये । हां, अगर बारह साल तक वह ओक्युपाइड रह जाता है तो उसको कानून में अधिकार दिया गया है टिनेन्ट का दर्जा हासिल करने का ।

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

ऐसी स्थिति में मैं गुजारिश करता हूं कि "retained possession" शब्द यहां रखना आवश्यक है और रखे जावें।

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव और दिया कि ४ टाइम्स तो पेनल्टी हो और एक टाइम हासिल और रेन्ट भी दिया जावेगा। इस तरह से उसको पांच टाइम्स तक दिये जाने की व्यवस्था इस कानून में की गई है।

मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर इस सारे ट्रेसपासर के सैक्शन को और इसकी परिभाषा को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि रेन्ट तो वह चीज़ है जो एक लेन्ड होल्डर के और टिनेन्ट के बीच में तय होती है। रेन्ट देने के लिए टिनेन्ट का स्टेटस होना बड़ा आवश्यक है। पर अगर एक टिनेन्ट नहीं है तो वह रेन्ट नहीं दे सकता है। वह तो सिर्फ डेमेजेज़ दे सकता है। अगर एक दफा वह रेन्ट दे देता है तो फिर वह ट्रेसपासर नहीं गिना जा सकता, वह तो फिर टिनेन्ट हो गया, क्योंकि रेन्ट टिनेन्ट ही दे सकता है, ट्रेसपासर नहीं।

इसलिये यहां रेन्ट देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है और यह उनकी भूल है जो उन्होंने यह कहा कि उसको हासिल भी देना पड़ेगा। तो लगान देने का प्रश्न ट्रेसपासर के लिए कभी नहीं उठ सकता। उसने जो कुछ ऑक्युपाइड लेन्ड पर या अनऑक्युपाइड लेन्ड पर ट्रेसपास किया है, उसके लिए जो कुछ सजा उसको दी जावेगी वह डेमेजेज़ के रूप में ही दी जावेगी।

माननीय चेयरमेन साहिब, उन्होंने एक बात और बताई कि अनऑक्युपाइड लैण्ड पर कोई शख्स कब्जा करता है और उसको तोड़ता है और तहसीलदार या दूसरे रेवेन्यू अधिकारी की इजाजत लेने में देर होती है तो पिनेलाइज़ उसे नहीं किया जाना चाहिये। तो मैं अर्ज करता हूं कि यहां लिमिट फिक्स की है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे मामले को कोर्ट तय करेगा। अगर वाकई वह बोनाफाइड किसान हुआ, लेकिन वह अगर ट्रेसपासर की परिभाषा में आता है तो ऐसे केस पर कोर्ट या तहसीलदार सिम्पेथेटिक रूप से विचार करेगा और उसको ड्योढ़ा दुगुना, जैसा उचित समझें, लगान देने या पिनेल्टी या डेमेजेज़ देने का ऑर्डर दे सकते हैं। ४ टाइम्स की बजाय सवा टाइम, दुगुना भी ले सकते हैं। यह तो मेक्ज़िमम है। यह नहीं कि इससे कम नहीं हो सकता। ऐसे बोनाफाइड मामलों में अगर कोर्ट सिम्पेथेटिकली विचार करे तो कम भी कर सकते हैं।

इसलिये मैं अर्ज करता हूँ कि जो क्लॉज़ है और जो तरमीम इसमें मैंने पेश की है, इसके बाद यह क्लॉज इसी तरह से पास की जानी चाहिये और जो सुझाव जोधपुर ने आने

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

वाले माननीय सदस्य ने दिये हैं वे करीब करीब गलत हैं और उनको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

(श्री गोपीलाल यादव के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति—और अमेंडमेंट प्रस्तुत हो जाने दीजिये और इसके बाद आप बोलें तो ठीक होगा।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"Sub-clause (1) Part (a) Line five : after the word 'tenant' add the following, 'or on the issue of a notice by the Tehsildar who shall entertain the application of aggrieved person,'"

इसके बाद फिर सब क्लॉज़ (२) में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"Delete sub clause (2) and redraft as follows :-

'(2) The trespasser shall immediately be ejected after summary enquiry.' "

माननीय चेयरमेन महोदय, इस बिल के ओरिजिनल क्लॉज़ को देखते हैं तो इसमें एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन नजर आया कि जहां प्राइवेट पर्सन का सवाल आता है तो उसको कोर्ट में जाना पड़ता है और जहां गवर्नमेन्ट का सवाल है वहां तहसीलदार को नोटिस देकर समेरी ट्रायल करने का और इसके बाद उसको डिस्पजेस कर देने का अधिकार दिया गया है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह डिस्क्रिमिनेशन प्राइवेट पर्सन और गवर्नमेंट के दर्मियान क्यों आना चाहिये?

समेरी ट्रायल करके ट्रेसपासर को डिसमिस करने का या उसके पजेशन को रिकवर करने का जो अधिकार सरकार को है उसी प्रकार का अधिकार एक प्राइवेट पर्सन को भी होना चाहिये। खास कर उस हालत में जब कि हम देखते हैं कि सरकार पूरी साधन सम्पन्न है और हर प्रकार से वह ट्रेसपासर को अपनी जमीन को नाजायज़ काम में लाने से रोक सकती है। तो वह साधन सम्पन्न सरकार तो नोटिस तहसीलदार के द्वारा दिलवा कर और उसके द्वारा ही समेरी ट्रायल करके ही उसको बेदखलकर देने की मंशा रखती है, और एक प्राइवेट पर्सन जो सरकार के मुकाबले में कतई साधन सम्पन्न नहीं है, उसको बाकायदा सारा मामला अदालत में लाना पड़ेगा। आज-कल अदालतों में स्यूट लाना जितना कठिन है और कितना लम्बा और थकाने वाला है यह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं और यदि इस पर किसान गरीब हुआ, तो उसके लिए तो यह स्यूट लाना असम्भव ही है। जब कि आज कल कोर्ट फीस इतनी बढ़ी हुई है, और वकीलों का खर्चा इतना बढ़ा हुआ है और अदालतों में एक

[रावत श्री शम्भू सिंह]

म ा जाने पर उसके लिए गवाहियां लाना, देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर उसके मुकाबले में कोई इन्फ्लुएन्सल पार्टी आ गई तो और भी मुश्किल है, और इस किस्म का स्यूट अगर सिविल कोर्ट में रेफर किया गया तो उसकी तो शामत ही आ जावेगी, क्यों कि जिस रफ्तार से आजकल मुकद्मे होते हैं उस रफ्तार को देखते हुए तो उसको तो इन्साफ मिलने की उम्मीद ही नहीं हो सकती।

तो यह मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इतनी साधन सम्पन्न होते हुए भी नोटिस देकर और समरी ट्रायल तहसीलदार के पास ही कराकर हटा देगी और प्राइवेट पर्सन को कोर्ट में स्यूट लाना पडेगा।

आज कल अदालतों में सूट लाना कोई मामूली काम नहीं है। ये मेरे ही शब्द नहीं हैं पर चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के ये शब्द हैं। वे कहते हैं कि आजकल अदालतों में इन्साफ भी बिकता है और मैं तो समझता हूँ कि हर वह आदमी हारता है जो कोर्ट में आता है। जो जीता वह भी हारने के बराबर हो जाता है; और जो हारता है वह तो हारता ही है। तो उस प्राइवेट पर्सन को इस प्रकार के कोम्प्लीकेटेड प्रोसीजर के हवाले नहीं किया जाना चाहिये। इसके लिए भी यह अधिकार होना चाहिये कि वह भी तहसीलदार के पास आकर एक दरख्वास्त फाइल करे और इस पर वहां से नोटिस जारी हो और फिर वहां उसकी समेरी ट्रायल हो जाने के बाद नोटिस के द्वारा उसको बेदखल कर दे और खास कर उस समय तो यह और भी आवश्यक है जब कि हम लॉ लैसनेस को बढ़ा हुआ देखते हैं, और गांवों में गुट्टबन्दियां बनी हुई पाते हैं और जहां भले आदमी का जीवनयापन मुश्किल है। तो वहां कुछ आदमी गुट्ट बनाकर भले आदमियों की प्रोपर्टी पर ट्रेसपास कर लेंगे और इसके बाद वह व्यक्ति रोता फिरे अदालतों में, और ट्रेसपास करने वाले, अपने मौज से आमदनी से अपना घर भरते रहें और मौज उड़ाते रहें, तो यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। और सरकार का तो यह सबसे पहला फर्ज होना चाहिये कि वह एक प्राइवेट परसन को प्रोटेक्शन दे, सरकार प्राइवेट परसन को प्रोटेक्शन देने के वास्ते है। तो उसने कानून से अपना तो प्रोटेक्शन कर लिया और प्राइवेट पर्सन को उन्होंने अदालत के रहम पर छोड़ दिया। यह डिस्क्रिमिनेशन मेरे ख्याल से तो कतई ठीक नहीं है।

इसके अलावा आगे सब क्लॉज़ (२) में यह व्यवस्था है कि...

"In either case such trespasser shall upon payment of the penalty or damages, as the case may be, have the right, of tending, gathering and removing any ungathered crops." ऐसा उसको और इनाम मिलेगा, गोया उसने ट्रेसपास किया। एक एग्रीव्ड आदमी को नुकसान पहुँचाया है उसका इनाम उसको यह मिलेगा कि क्रॉप को उठा कर ले जाय। वह अपने घर में ले जाकर भर देगा। यह तो एक जुर्म करने का इनाम ही हुआ। यह

[रावत श्री शम्भूसिंह]

बिल्कुल अनुचित बात है कि ट्रेसपासर को फोर टाइम्स की पेनील्टी देने के बाद में क्रॉप गेदर करने का अधिकार मिल जाय। यह तो मेरी दृष्टि में कदापि उचित नहीं है। उसको तो उसी वक्त निकाल देना चाहिये और उसके अलावा पिनेलाइज करना चाहिये, जैसा कि क्रिमिनल प्रोसीजर में उसको पिनेलाइज़ करने का विधान है, उसी क्रिमिनल प्रोसीजर में उस ट्रेसपासर से वापिस रिकवरी दिलवाने का जिस प्रकार विधान है, उसी प्रकार इसमें भी यह विधान होना चाहिए। उसको इमीजिएटली निकाल दिया जाय और उसने जिस कदर मालिक जमीन को नुकसान पहुँचाया है, उसको फुली कम्पेन्सेट करने के बाद उचित दण्ड मिलना चाहिए। तो माननीय चेयरमेन महोदय, मैं समझता हूँ कि किसानों की हिफाजत और संरक्षण के वास्ते यह आवश्यक है कि इस क्लॉज़ पर मैंने जो दो अमेंडमेंट रखे हैं, वह अवश्य जोड़ दिये जांय।

श्री गोपीलाल यादव—May I now move my amendment, Sir ?

श्री सभापति—Please wait. Do'nt be impatient. Shri ShriGopal Bhargava.

श्री श्री गोपाल भार्गव—चेयरमेन महोदय, मेरा एमेंडमेंट क्लॉज़ १३३ की सब क्लॉज़ (१) के पार्ट बी लाईन ६ में यह है कि जो कोई शख्स ट्रेसपासर है और वह किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेता है, और वह कब्जा उसको वापिस नहीं देता है, तो उसको जितना लगान है उसका चार गुना डेमेज का जिम्मेवार रखा है। लेकिन आम तौर पर यह देखने में आया है कि चार गुना लगान देने पर भी वह कब्जा कायम रखते हैं, और इस तरह जो उस जमीन का जायज़ हकदार है और उसका कब्जा पाने का मुस्तहक है, उसको वह कब्जा नहीं मिलता। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि डिग्रियां हो जाती हैं और डिग्रियां हो जाने के बाद अदालतों से कब्जा भी दे दिया जाता है असल मालिक को, बावजूद इसके जो ट्रेसपासर हैं वह फिर उसको जोत देता है, और इस तरह से उसकी फसल लेता रहता है। जो डेमेज चार गुना है, उसके बदले में अगर दस गुना कर दिया जायगा तो उन लोगों के ऊपर जो दूसरों की जमीन पर कब्जा रखना चाहते हैं, भार पड़ेगा और इस तरह से ट्रेसपासर को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, बल्कि वह इससे डरेगा कि दूसरों की जमीन पर नाजायज़ तरीके से कब्जा नहीं रखे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो लब्ज 'फोर टाइम्स' हैं उसके बजाय 'टेन टाइम्स' कर दिया जाय।

श्री सभापति—श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—I don't want to move the amendment. लेकिन अगर मुझे इजाजत दी जाय तो बोल लूं। यदि यह अख्त्यार बाद में रखा जाय तो बाद में।

श्री सभापति—बाद में, श्री गोपीलाल यादव।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय चेयरमेन, मेरा एमेंडमेंट आधा सा है, और माननीय मंत्री महोदय उसको स्वीकार करेंगे। वह एमेंडमेंट यह है कि :

"(a) If he has taken or retained possession of any land without lawful authority. to ejectment on the issue of a notice by the Tehsildar"... इसके अन्दर यह दिया हुआ है कि "on the issue of a notice by the Tehsildar" लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि इन वर्ड्स की जगह में यह एड कर दिया जाय "on the expiry of the period of notice issued by the Tehsildar."

"on the issue of a notice by the Tehsildar" (existing) के बजाय ये वर्ड्स इसमें रख दिये जायं "on the expiry of the period of notice issued by the Tehsildar"

माननीय चेयरमेन, "on the issue of a notice एक आदमी को eject करना किसी सूरत में मुनासिब नहीं है, क्योंकि नोटिस गलत इश्यू किया जा सकता है और जिस वक्त नोटिस कर दिया गया उसी वक्त वह eject होगा इस सेक्शन के मुताबिक, लेकिन होना यह चाहिये कि वह "on the expiry of tht period of notice issued by the Tehsildar" हो ताकि अगर उसको कोई एतराज हो तो उस पीरियड ऑफ नोटिस, के अन्दर अपना कॉज़ शो कर सके और इसको केन्सिल करा सके। इसलिए यह निहायत जरूरी है, और कानून और कायदे के हिसाब से ऐसा ही होता है कि इजेक्टमेंट के लिए लाएबल जब होता है, on the expiry of the period of notice. उसके लिए जो लीगल रेमेडीज़ ओपन हैं उनको वह इस्तेमाल कर सकता है, उस पीरियड ऑफ नोटिस में and he can get the notice cancelled. अगर नोटिस केन्सिल नहीं कराता है, तो जिस दिन उस नोटिस की मयाद खत्म होगी वह इजेक्ट हो जायगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इसको जरूर स्वीकार करेंगे।

एक दूसरा मेरा एमेंडमेंट और भी है जो मैंने लिख तो लिया है लेकिन थोड़ा सा बाकी है, जिसको अभी भेजता हूँ वह सब क्लॉज़ (२) में है।

श्री सभापति—एक साथ ही दे दिया करें।

श्री गोपीलाल यादव—मैंने निवेदन कर दिया कि I am sending it. वह इतना ही है जैसा कि मेरे मित्र भार्गव साहब ने ऐसा कहा कि वह इजेक्ट नहीं होगा, डेमेजेज़ दे देगा और बड़ी दिक्कत खड़ी हो जायगी। तो इसमें मैं यह चाहता हूँ कि यह क्लॉज़ "In either case such trespasser shall, upon payment of the penalty or damages as the case may be, have the right of tending, gathering and removing any ungathered crops"

[श्री गोपीलाल यादव]

यहां फुलस्टॉप की जगह कॉमा कर दिया जाय और यह वर्ड्स इसमें एड कर दिये जायं "if the party aggrieved has accepted the panalty or damage." यानी आपने कहा कि वह ट्रेसपासर चार गुना लगान दे देगा और वह यह पसन्द करेगा कि ट्रेसपास करके पैदावार ले ले और चार गुना दे दे तो आप चार गुना लेने का ऑप्शन उस प्लेन्टिफ को दे दीजिये जो सूट लाता है, और उसके आगे यह एड कर दिया जाय।

"if that other party has accepted the damages" अगर वह उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो लीगल टेन्डर वह उसको रख सकता है, लेकिन वह कहता है कि मुझे फायदा होता है २ हजार का और चार गुना लगान से क्या फायदा ? वह उसके पास ही रहने दिया जाय। मुझे तो अपनी फसल चाहिये तो he can tender the crops. But the trespasser will be ejected without any compensation. यह लॉ इस वक्त भी है। यह लॉ ट्रेस्पासर को इजेक्ट करेगा बगैर कम्पेन्सेशन के लिए, लेकिन डेमेजेज़ के लिए प्रोविजन रखते हैं कि अगर पार्टी एग्रीव्ड एक्सेप्ट कर लेती है डेमेजेज़, तो उसको टेन्डर कर लेने दिया जाय। उसको ले लेने दी जाय।

मेरे यह दोनों संशोधन हैं। मैं आशा करूंगा कि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, और यह दोनों बिल्कुल दुरूस्त मालूम पड़ते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एमेंडमेंट रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं। माननीय अध्यक्ष, जो ऐमेंडमेंट..

श्री हरिकृष्ण व्यास — इशारे पर खडे होकर बोल रहे हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर — इशारे पर नहीं है। प्रोवीजन्स ऑलरेडी कर लिये हैं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल — वह अपने पैरों पर खडे हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर —आपके एमेंडमेंट रखने का मकसद है कि ट्रेसपासर को ज्यादा एन्करेज नहीं किया जाय। इसलिए उन पर हेवी पिनेल्टी रखी जाय लेकिन माननीय चेयरमेन, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम्पेन्सेशन और पिनाल्टी कामेन पर्पज यही होता है कि जिस व्यक्ति के लिए गलती की गई, जिसके साथ रोंग हुआ है उसको डेमेज दिया जाता है और उसको उतना ही कम्पेन्सेट किया जाय जितना कि वह कब्जा जो वह हो गया है तो उसके लाभ से होता। यह चीज है। दूसरे कानूनों के अन्दर यह होता है। उतना ही कम्पेन्सेशन दिया जाता है जितना कि अगले का लोस होता है।

[श्री सोहनलाल भटनागर]

तो धौलपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है कि इसको पीनल लॉ बना दिया जाय ,यदि इतना लैस पनिश किया जाय तो मेरे ख्याल से यह अन्यायसंगत होगा। कई केसेज बोनाफाइड होते हैं , कई आपसी झगडे होते हैं, कई केसेज में गवर्नमेंन्ट के अलॉटमेन्ट में खामियां रह जाती हैं, और और भी कई बातें हो जातीं हैं तो १० गुना मआवजा फिक्सड पिनाल्टी के रूप में रखने का आशय क्या था। मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार १/१० किया है और उसके बाद जो एक्चुली प्राप्त होता है, उसके अनुसार मुनाफा मिलेगा। लैंड होल्डर कैश रेन्ट में भी ज्यादा प्राप्त करेगा। ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि डिटेरेन्ट के लिये आप दस गुना ही नहीं, बल्कि हजार गुना रखें तो भी कोई बात नहीं है। क्रिमिनल कोड के अनुसार सारी कार्यवाही की जा सकती है, इसलिये यह अमेन्डमेन्ट रिजेक्ट किया जाय।

यू. पी. एक्ट में तीन गुना था, उसको बढाकर चार गुना रख दिया है, वह भारी पड़ेगा। फिर भी मैं यही कहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी ने जो रखा है वही रहने दिया जाय।

श्री श्रीदास गोयल—क्लॉज़ १३३ के संबंध में माननीय मित्रों की अलग अलग विचार धाराऐ कई अमेन्डमेन्ट्स के सिलसिले में सामने आई। सबसे पहले तो माननीय भटनागरजी ने माननीय धौलपुर से आनेवाले मित्र भार्गवजी के १० टाइम्स के सिलसिले के अमेन्डमेंन्ट का विरोध किया है। उस विरोध को मैं मानता हुआ इस बात का स्वागत करता हूं कि श्री गोपाल जी ने वास्तव में बहुत ही सही दृष्टिकोण अपनाया है। इक्वीटेबल रिलीफ देने की है। उन लोगों को जो लठैतों के बल-बूते पर तंग और परेशान करने के लिए आमादा है; खून खच्चर करते है, जमीन छीनते हैं, ताकत के जोंम में जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिये। ऐसी हालत में गुजारिश करूंगा कि जैसा कि एक सदस्य ने यह फरमाया कि ऐसे आदमी को पनिशमेन्ट देना चाहिये, सजा मिलनी चाहिये, नहीं तो जो भोले भाले आदमी शान्तिपूर्वक खेती करना चाहते हैं उनका प्रोटेक्शन कैसे होगा। मुझे यह निवेदन करना है कि टिनेन्सी बिल में क्रिमिनल लॉ के जैसा करने का प्रोविजन नहीं है। क्रिमिनल कोड में लाठी चलानेवालों के लिये सजा का प्रोविजन है उसके लिये हमें फिक्र नहीं करना चाहिये। लेकिन जहां तक टिनेन्सी एक्ट है, वहां लैंड होल्डर पर जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेन्ट पर जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि नाजायज़ तौर पर काश्तकारों का कब्जा डिस्टर्ब नहीं होने दिया जाय और जो इस तरह से कब्जा करने की कोशिश करें, उनके लिए इस तरह का प्रोविजन रखा जाय कि वे डिस्करेज हों और आयन्दा ऐसा करने की कोशिश न करें।

जैसा सुझाव आया था कि चारगुना प्रोविजन रखा जाय। मैं इसका विरोध करता हुआ कहूँगा कि फोर टाइम्स कुछ नहीं है, क्यों कि एक किसान के पास बारानी जमीन है उसको उसने चाही बनाने के लिये कोशिश शुरू की। कुआ बनाया, पानी देना शुरू किया, खाद आदि डाला।

[श्री श्रीदास गोयल]

उससे उस काश्तकार को फायदा होने लगा। सेटलमेंट वालों ने भी उसकी दर चाही की नहीं रखी। कुछ आदमी लाठी लेकर आये और उस जमीन पर कब्जा कर लिया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। बारानी जमीन को लगान का रुपया, सवा रूपया बीघा होता है। उन्होंने उसका चौगुना देकर अपना पिंड छुडाया, और सैकड़ों रूपयों की काश्त हजम कर गये। जिन किसानों ने हजारों रूपये लगा कर कूए बनाये, जमीन ठीक की, उनके लिये अजीबोगरीब परिस्थिति सामने आती है, इसलिये जो भार्गवजी ने प्रस्ताव रखा है वह ठीक है, ऐसे आदमियों के लिये केवल डेमेजेज तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये, जैसा कि श्री कपिलदेवजी ने कहा कि उनसे डेमेजज़ वसूल करने चाहिये, क्यों कि उनको अधिकार नहीं था कि दूसरों की जमीन पर जाबर कब्जा करें। केवल डेमेजज़ ही नहीं वसूल करना चाहिये, बल्कि एक कदम और आगे जाकर उसे पेनल्टी वसूल करनी चाहिये। और खेत उसके मालिक किसान को मिलना चाहिये। इसलिये फोर टाइम्स बिल्कुल कम है। जयपुर में पहले फोर टाइम्स था, इससे बहुत से काश्तकारों को नुकसान हुआ। रेवेन्यू बोर्ड में झगड़ा चलता रहा, युग बीत गये....

श्री **कपिलदेव अग्रवाल**—युग कितने साल का होता है ?

श्री **श्रीदास गोयल**—माननीय सदस्य को याद रखना चाहिये कि युग १२ साल का होता है।

मैं निवेदन करूंगा कि वास्तव में व्यवहारिक दृष्टि से ऐसे व्यक्तियों के लिये भार्गवजी ने जो सुझाव रखा है, वह ठीक है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्रीजी इस पर अच्छी तरह से विचार करके रीजनेबल चीज कायम फरमायेंगे।

दूसरी बात जो श्री यादवजी ने फरमाई थी कि 'इश्यु ओफ नोटिस' की जगह "on the expiry of the period of notice." मैं अर्ज करूंगा कि सबसे पहले फंडामेन्टल चीज पर विचार करना चाहिये। श्री यादवजी को देखना चाहिये कि जो व्यक्ति, जरायम पेशे से संबंधित है या जरायम करने वाला है उसके लिये कोई रियायत का मौका देने की जरूरत नहीं है। यदि ओन दि पीरियड ओफ नोटिस' है तो मान लीजिये कि किसी जगह चारागाह की जमीन है, जिसमें आम तौर पर गांव की गायें आदि चरती हैं। किसी ने लाठी के जोर पर उस जमीन पर काश्त करली और ऐसे केसेज में चार गुना लगान देकर फायदा उठाता रहेगा और तहसीलदार आदि कुछ नहीं कर सकेंगे, और वे मवेशी जो गांव में चारा नहीं होने से भूखे रहते हैं, और उनको चारागाह में चारा मिलता है, वे कहां जाकर चरेंगे। इस प्रकार की समस्याएं और भी पैदा हो सकती हैं। ये ऐसे मामले हैं जिनको इमिडियेटली तय करना चाहिये और ट्रेसपासर को सजा मिलनी चाहिये।

श्री जवानसिंह—जुरायम पेशा होने के लिये क्या ट्रेसपासर होना काफी है ?

श्री श्रीदास गोयल—मैं अर्ज करूं कि एक ट्रेसपासर है, वह है एक्च्युअल है तो वह जुरायम पेशा है या होने वाला है तो उसके दिमाग से पता चलता है।

श्री जवानसिंह—क्या सारे के सारे ?

एक माननीय सदस्य—उनका मतलब है पीनल कोड के ट्रेसपासर से।

श्री भैरोंसिंह—ट्रेसपासर को प्रोटेक्शन देने वाला क्या होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप खुद समझ लें।

श्री श्रीदास गोयल—ला ग्रेज्युएट समझते हैं।

१३३ क्लॉज में हर तरह के ट्रेसपासर्स शामिल हैं। पीनल ओफेन्सेज़ वाले भी शामिल हैं। ऐसी परिस्थिति में निवेदन करना है कि इसमें एक नोटिस पीरियड रखना चाहिये, अनफेटर्ड पब्लिकेशन होना चाहिये। जिस प्रकार के केसेज हों उसी प्रकार डील करें। इस प्रकार के निवेदन के साथ अधिक न कहते हुए जोधपुर के मित्र का स्वागत कपिलदेवजी ने किया उसकी ताईद करते हुए मैं कहूंगा कि १३३ क्लॉज़ को समझने में जल्दबाजी की गई है, वरना इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट नहीं होता। १३३ क्लॉज़ पर कपिलदेवजी और भार्गवजी के जो अमेन्डमेन्ट आये हैं उनको स्वीकार करते हुए अमेन्डेड फोर्म में यह क्लॉज़ कायम रखना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १३३ जो कि हम इस समय कन्सीडर कर रहे हैं, और जिसको पास करने की तैयारी कर रहे हैं, वह इस इजेक्टमेंट के चेप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज़ है। जोधपुर से आने वाले माननीय साथी ने जो संशोधन इस क्लॉज़ पर पेश किये, वे दोनों आल्टर्नेटिव संशोधन थे। उनमें से एक संशोधन में उन्होंने यह कहा कि इस क्लॉज़ को इस कानून से हटा देना चाहिये और दूसरे ही सांस में उन्होंने यह कहा कि अगर इस क्लॉज़ को किसी कारण से नहीं हटाया जावे तो जो ट्रेसपासर्स के ऊपर पेनल्टी रखी है वह ४ गुना न रखी जाकर सवा गुना रखी जावे।

माननीय उपाध्यक्ष, ये संशोधन मैंने जोधपुर से आने वाले साथी से सुने जो कि हमेशा से किसानों के बड़े हमदर्द हैं और वे यह चाहते हैं कि किसानों के साथ 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली कहावत चरितार्थ न हो। तो उन्होंने जब ये संशोधन रखे तो जो कुछ बचाव किसानों का इस क्लॉज़ के जरिये मिल सकता है वह उन्हें नहीं मिले। और जिनके हाथ में लाठी है, जो ताकत से जमीन पर कब्जा करके बैठ जायं वही उस जमीन के काबिज बन बैठें, मालिक-

Page No.57

[श्री नाथूराम मिर्धा]

बने रहें। और जो जायज़ मालिक है उनको हटा दिया जावे, ऐसी व्यवस्था वे किस इरादे से चाहते हैं, यह मैं नहीं समझ सकता ?

एक किसान को जिस समय काश्त करने का मौका आता है, उनसे छुपी हुई बात नहीं है कि जो मजबूत किसान होते हैं या और दूसरे मजबूत ताकतवर होते हैं उन गरीब किसानों को उनके खेतों पर जाकर जबरदस्ती से कब्जा कर लेते हैं। तो उस मर्ज का इलाज करने के लिए अगर हम एक क्लॉज़ रखते हैं कि जिनको उस जमीन पर किसी किस्म का क्लेम नहीं है, किसी किस्म का हक नहीं है, वे लोग दूसरे किसान के खेत पर जाकर दस्तन्दाजी करें तो इसको रोकने के लिये हमने इस क्लॉज़ में व्यवस्था की है "If he has t aken or retained possession of any land without lawful authority. जिस जमीन पर कानून उसका हक नहीं है, उस जमीन पर अगर वे जबर्दस्ती कब्जा कर लें तो वह किसान, जिसकी जीमन पर जबर्दस्ती उन्होंने कब्जा किया है उसको हटवा सकता है, ऐसी कानूनी कार्यवाही इस क्लॉज़ में है। तो ऐसी सूरत में इस क्लॉज़ को कतई हटा देने का संशोधन तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता।

उन्होंने दूसरा संशोधन यह रखा है कि इस क्लॉज़ को बिल्कुल नहीं हटाया जावे तो जो ४ गुना पिनाल्टी उससे दिलाने का प्रोविजन रखा जा रहा है, जब तक उस जमीन पर कायम रखेंगे, बेदखल नहीं करेंगे तब तक के लिये जो ४ गुना लगान लेने की व्यवस्था की गई है वह न्यायपूर्ण नहीं है, इसलिये ४ गुना की बजाय सवागुना कर दी जावे।

यह भी कम समझ में आता है। कोई जबरदस्ती आकर जायज़ किसान की जमीन पर कब्जा कर ले और उसको निकालने के लिये इलाज हमने इस क्लॉज़ में रखा है, वह भी हमारे साथी का कृपा-पात्र हो रहा है, जिसने कि उस जायज किसान की जीविका को १ साल के लिये नष्ट कर दिया। उसको रियायत दें, यह समझ में नहीं आता। मेरे साथी कहते हैं कि सवा गुना होना चाहिये। एक संशोधन यह आया है कि १० गुना होना चाहिये। १० गुना लेने का मतलब यह होगा कि जो उस जमीन में पैदावार हुई है उससे ज्यादा लेंगे। अभी कानून में जहां पर केश रेट नहीं, काइन्ड में रेन्ट्स है, वहां हमारा मौजूदा लगान का है, वह पैदावार का छठा बांटा है। तो मेरे ख्याल से जो कुछ उस खेत में पैदा हो, जब तक कि वह बेदखल नहीं हो जाय, तब तक छठे हिस्से के हिसाब वे १० गुना ले तो फिर पूरी की पूरी पैदावार उस खेत की ले लेगा और मेहनत और गैरवाजिब तौर से हासिल किये गये खेत पर जो भी वह खर्चा करेगा वह सब बेकार जायगा। इसलिए मेरे ख्याल से न १० गुना लें और न ४ गुना लें, बल्कि ६ गुना होना चाहिये। ताकि उसकी पूरी की पूरी पैदावार उस किसान को दिला दें जिसकी जमीन पर उसने गैर कानूनी तौर से, गैरवाजिब तौर से कब्जा किया है। रेन्ट के टाइम्स का सवाल है, कि कितने टाइम्स पेनल्टी उसको दिलाई जाय

Page No.58

[श्री नाथूराम मिर्धा]

तो मेरे ख्याल से ६ टाइम्स का वाजिब होगा, यह मेरा सुझाव है। इसमें मैंने संशोधन रखा है जो उचित और वाजिब चीज़ होगी और जिस इरादे से हम यह क्लॉज़ पास करना चाहते हैं वह मंशा भी पूरी हो जायगी। मैंने संशोधन रखा है कि : "In sub-clause (a) and (b) the words, 'calculated in accordance with the sanctioned rent rates' be omitted."

इस क्लॉज़ के सब क्लॉज़ (१) के आखिरी शब्द हैं :

"calculated in accordance with the sanctioned rent rates.'

और ये के ये शब्द वापिस सब क्लॉज़ (बी). में रिपीट हुए हैं आखिर में : "calculated in accordance with the sanctioned rent rates."

ये के ये शब्द सब क्लॉज़ (१) के (ए) में हैं वही (बी). में भी हैं, इन शब्दों को यहां से हटा देना चाहिये। इनका हटाना इसलिए लाज़िमी हो जाता है कि बहुत से इलाके जहां सेटलमेंट कभी नहीं हुआ है, वहां सेक्शन्ड रेंट रेट्स नहीं हैं और जहां सेंक्शन्ड रेंट रेट्स नहीं हैं वहां "annua rent calculated in accordance with the sanctioned rent rates." है तो किस तरह से होगा ? यह हम किस तरह से कलेक्ट कर सकेंगे, जब कि वहां सेंक्शन्ड रेंट रेट्स हैं ही नहीं और जहां सेटलमेंट अभी नहीं हुआ है, वहां सेटलमेंट होने में और सेंक्शन्ड रेंट रेट्स लगने में एक-दो साल का समय लग सकता है। तो इन शब्दों को हटाने के बाद में हम यह रखेंगे :

"Six times the annual rent."

जो रेंट लगाते हैं उसका ६ गुना हो।

यही शब्द मुझे इस सदन के सामने अर्ज करने हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में काफी वाद-विवाद हुआ और सवाये गुना से लेकर १० गुना तक फाइन होने के सम्बन्ध में जो चर्चाएं सदन में आईं और अलग अलग दृष्टिकोणों से अलग अलग बातें आईं, तो मैं समझता हूं कि इसमें दो राय आम तौर से नहीं होनी चाहियेकि जो ट्रेसपासर है उसको सख्ती के साथ डील करना चाहिए। ट्रेसपासर को रियायत देना जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य भले ही पसंद करें, पर आम तौर से इसे कोई पसंद नहीं करेगा। तो उन्होंने जो संशोधन आम तौर से आज इस क्लॉज़ पर रखे, वे ऐसे व्यर्थ से प्रतीत होते हैं कि ट्रेसपासर को सजा देने के ख्याल से जो संशोधन रखा है, जिसे समझने में भी मुश्किल हो रही है और मानना तो नामुमकिन ही है। (हंसी) मैं नहीं समझता कि वे किन ट्रेसपासर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। बाकी आप ट्रेसपासर

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

के बारे में कहा करते हैं कि उनके साथ सख्ती के साथ डील करना चाहिए, तो मैं निवेदन करूंगा कि मैं उनके संशोधन से सहमत नहीं हूं।

माननीय उपाध्यक्ष, जो संशोधन नीमके थाने से आने वालों ने रखा वह मुझे ठीक प्रतीत होता है और उसके बाद मैं ज्यादा विवेचन करने की आवश्यकता नहीं देखता और न मैं उन चर्चाओं में पड़ना ही चाहता हूं। अभी मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने, चौगुने मुआवजे के बजाय १० गुना और १। गुना की बहस जो चल रही थी, उसके बजाय चार गुने के ६ गुने फाइन की बात कही वह मुझे ठीक मालूम होती है। उन लोगों के साथ, जो ट्रेसपास करते हैं सख्ती की जाने की बात मेरे समझ में आ सकती है और लीनियेन्सी की बात कम समझ में आ सकती है। इसके अलावा जो एक संशोधन रखा है कि रेन्ट रेट रखने से मुगालता होने की संभावना है तो "Calculated with the senctioned rent rates', शब्द हटाने के बारे में मेरा कोई ऐतराज नहीं। इसलिए मैं दोनों माननीय सदस्यों के संशोधनों को स्वीकार करता हूं और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है वह मेरे पास अभी है नहीं लेकिन वह कुछ तहसीलदार कोनोटिस के संबन्ध में था...

श्री **गोपीलाल यादव**—वह है "issue of notice" के बजाय 'on the expiry of the period of the notice issued by the Tehsildar"

श्री **उपाध्यक्ष**—दो अमेंडमेंट है। एक तो है १३३ (१) (ए) में व एक है १३३ (२) में।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—पहला तो है : "outhen issue of notice" के बजाय "on the expiry of the period of notice"

श्री **कपिलदेव**—मैं भी इस पर बोलना चाहता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष**—जब आपको बोलने के लिए नम्बर था उस समय आप बाहर चले गये थे।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है जिसमें हम और ये शब्द एड करें ?

"on the expiry of the period of the notice."

इन शब्दों को एड करने से कोई खास फर्क तो पड़ता नहीं। नोटिस के बाद सब कार्यवाही होगी। मैं समझता हूं कि इन शब्दों से उनका पर्पज पूरा हो सकता है।

Page No.60

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

इसी प्रकार का दूसरा एमेंडमेंट और है :

"If the plaintiff has accepted the damage and also to pay the demages which may extend to four times the annual rent calculated in accordance with the sanctioned raut rates......

आपका मतलब यह "which may extend to four times"......

श्री गोपीलाल यादव—सेक्शन १३१ के पैरा नम्बर २ में है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—In that case the trespasser shall on the payment of penalty or damages......"

श्री गोपीलाल यादव—शब्द इसके 'crops' के बाद कोमा लगाकर आखिर में जोड़ दिया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अगर एक्सेप्ट नहीं करें तो क्या ?

"In either case such, trespasser shall upon payment of the penalty, or damages,as the case may be, have the right of tending, gathering or removing any ungathered crops."

एक तरफ तो हम "shall" यूज़ करेंगे और दूसरी तरफ "if the plaintiff has accepted the damages."

मैं समझता हूं कि इन शब्दों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसके बिना सेन्स पूरा हो जाता है। इसलिए मैं इन एमेंडमेंटस को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष जी......

श्री उपाध्यक्ष—ज्यादा बड़ा नहीं करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं संशोधन के बारे में जवाब दे रहा हूं की उपाध्यक्ष रिप्लाई में ऐसी बातें होती हैं कि नया भाषण हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिये। जो बातें जरूरी हों, वही कहें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, भाषण तो नया ही होगा।

श्री उपाध्यक्ष—मिनिस्टर ने जो बातें कहीं हैं केवल उनके खिलाफ रिपलाई देना है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—केवल मिनिस्टर का ही क्यों और दूसरे मित्रों ने जो कहा है उसका भी जवाब देना है।

श्री उपाध्यक्ष—जो जरूरी बातें हो वे ही कहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यहां काफी देर से इस क्लॉज़ पर बहस चल रही है, और इसमें राजस्थान के अलग अलग इलाकों के भी अनुभव का हमारे सामने समावेश हुआ है। यहां तक कि जहां पानी से मलेरिया होता है उसका असर होता है, उसका अनुभव भी हमारे सामने आया है। रेवेन्यू मिनिस्टर से लेकर जितने माननीय सदस्यों ने इस पर भाषण दिया है, लगातार यही कहा है कि उन्हें मेरे संशोधन किस विचारधारा पर उपयुक्त किये जावें, समझ में नहीं आया। यह बताने की कोशिश की गई कि किसी ट्रेसपासर को बेदखल करने वालों के खिलाफ प्रवृति मेरे संशोधन में नजर आ रही है। मैं मेरे उन माननीय मित्रों का ध्यान क्लॉज़ १३५ की ओर दिलाना चाहूंगा जो उन्होंने खुद ने तैयार करके सदन के सामने प्रस्तुत किया है जिनका दरअसल ताल्लुक है "remedies for wrongfull ejectment" क्लॉज़ १३३ का ताल्लुक रोंगफुल ट्रेस्पासर से है। जबरदस्ती बेदखल करने वाले को, जिसका कि इशारा मेड़ता से आने वाले सदस्य ने किया है उसका तरीका क्लॉज़ १३५ से है। उसके प्रोविजो में लिखा है :

"Providod that own the holding, declare him to be the sub-tenant of the applicant in respect of such holding or a part thereof for that harvest only."

जो लोग भूस्वामियों द्वारा काश्तकारों पर दबाव डालें और दहस्त (भय) की वजह से बेदखल कर दें। गरीबों को वें लोग बेदखल करेंगे और साधन वाले लोग जबर्दस्ती कब्जा कर लेंगे। उसको रोकने के लिए हमने क्लॉज़ १३३ रखा है। उन माननीय मित्रों से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मुगालता आप किसको दे रहे हैं? उनके लिए तो आपने क्लॉज़ १३५ रखा है और उसमें तो करीब करीब आप उनके सामने फूलों का हार ले कर पहुँचे हैं। किसान जबर्दस्ती eject कर दिया गया तो वह सब टिनेन्ट गिना जावेगा। यह क्लॉज़ आपने गरीब लोगों के खिलाफ रखा है, ऐसा मेरा दावा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस पासर रोन्गफुली इजेक्ट करने वाला नहीं। रोन्गफुली इजेक्ट करने वाला तो दूसरा हो जाता है। ट्रेसपासर तो वह होता है कि किसी के कब्जे में जमीन न हो, या कोई टिनेन्ट उसमें बैठा न हो, कागजों में वह जमीन भले ही किसी के नाम दर्ज हो, लीगल राइट किसी का हो लेकिन ओक्युपेशन या एग्रीकल्चर राइट किसी का न हो और वह जाकर उसमें बैठ जाय तो दरअसल उसके लिए ट्रेसपासर शब्द काम में आता है। कोई जागीरदार किसी टिनेन्ट को बेदखल कर रहा है, कोई जमीनदार किसी टिनेन्ट को बेदखल कर रहा है या कोई खातेदार किसी और खातेदार को बेदखल कर रहा है। तो फिर उसके लिए क्लॉज़ १३५ लागू रहेगी, लेकिन जिस जमीन

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

पर काश्त के रूप में कोई कब्जा न हो और केवल कागजों में ही कब्जा हो अथवा सरकार की पड़त जमीन हो और उसके खेत पर मजदूर या गरीब लोग जाकर काश्त कर लेते हैं...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उसी पर आपकी निगाह है।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—वे कब्जा कर लेते हैं। वे उस पर कब्जा करेंगे। साफ बात है और कहता हूं, लेकिन मुश्किल है और वह मुश्किल है जो मैं साफ कहता हूं कि उधर के बैठने वाले माननीय मित्र मुल्लमा चढ़ा चढ़ा कर कहते है कि क्लॉज़ १३३ रखा है कि खातेदार और गरीब किसान पड़त जमीन पर कब्जा न कर लें। भू-स्वामीयों के नाम पट्टे हैं, वे काश्त नहीं करते और यदि ये लोग जो खेत मजदूर हैं या गरीब किसान हैं वहां पहुँच जांय और उनकी जमीनों पर हल चाला लें तो उसके लिए दस-दस गुना हरजाना। काश्तकार को बेदखल करने का तो परिणाम होगा कि उसको एक साल के लिए सब टिनेन्ट मान लेंगे। यह जो दिल का प्रेम है. वह अनायास प्राप्त नहीं होगा। मेरा संशोधन इसलिये समझ में नहीं आया क्यों कि आज मेरे मित्रों को गुफ्तगू करने की आदत पड़ गई है, बातचीत करने की आदत हो गई है और इस प्रकार की बातें करने की आदत हो गई है, इसलिए उनको समझ में नहीं आती।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपकी बातें बहुत ठीक समझ में आती हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब तो आयी होंगी क्योंकि मैंने स्पष्ट बातें कह दी हैं।

जिस इलाके में पानी में मलेरिया हो तो उस वजह से वह उनकी समझ में नहीं आये तो मैं समझ सकता हूं, किन्तु यह क्यों कहा जाय कि मैं हैसियत वालों की तरफदारी हमें यह संशोधन रख रहा हूं। मैं दावा करता हूं कि जबर्दस्ती रोक लगाने की तैयारी रखें। आज तो उस पर बहस नहीं होगी, किन्तु ११ अक्टूबर को बहस होगी। इजेक्टमेन्ट को कोग्नीजेबल ओफेन्स बनाने के लिए मेरा संशोधन मौजूद है और लम्बी चौड़ी बहस करने वालों के वोट किस तरफ जावेंगे इस का भी फैसला सदन में हो जायगा।

तो यह तो मुगालते की बात हुई। असल बात यह है कि टेकनिकली जिस आदमी के नाम जमीन है लेकिन वह खेती नहीं कर रहा है और दूसरे ने जाकर खेती कर दी तो उस आदमी का आप क्या करेंगे? That is the point. एक व्यक्ति के नाम से पांच हजार बीघा जमीन है, चाहे खातेदार है, कुछ भी है लेकिन काश्त करता नहीं है। आप कहेंगे कि कागजों में जमीन है, बेचारे को बेदखल कर दिया। वह बेचारा नहीं, किन्तु जमीन जिसके

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

पास नहीं, वह वहां जाकर बैठ गया, वह बेचारा है। यह हुआ है माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपसे अर्ज करूं कि अपने देश में यह हुआ है, दुनिया के प्रगतिशील कहलाने वाले देशों में ऐसा हुआ है, खुद इंग्लैंड में ऐसा हुआ है। जब सवॉय नाम के होटल में बगैर घर वाले लोग वहां जाकर बैठ गये तो उनका नाम ट्रेसपासर नहीं रखा गया किन्तु उनको 'squatters.' कहा गया खाली क्वार्टर्स पड़े थे। यह तो अधिकार था उनका।

(हंसी)

अलबत्ता सरकार उनकी व्यवस्था कर दे।

तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है माननीय उपाध्यक्ष जी कि यह १२३वां क्लॉज़ उन लोगों के खिलाफ नहीं है जो जबरदस्ती बेदखल करेंगे, किन्तु उन लोगों के खिलाफ है जिनके पास जमीन नहीं और जमीन की भूख को शान्त करने के लिए वे या तो चाहे सरकार की जमीन पर बैठेंगे या चाहे और किसी की जमीन पर जाकर बैठ जांय जो कि काश्त नहीं करते। तो यदि आप काश्त करने वालों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इस क्लॉज़ को मुलायम करें, सख्त मत करें। यदि आप इसको मुलायम करना चाहते हैं, तो मेरे अमेन्डमेन्ट का साथ दें और इस दृष्टिकोण से देखने के लिए माननीय सदस्यों की राय बदल गई है तो वे माननीय सदस्य इस अमेंन्डमेंट में अपनी राय दें।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—यह स्पीच इस सदन के लिए है या पब्लिक गैलेरीज़ में बैठने वालों के लिए है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—डेढ़ करोड़ आदमियों के लिए ही है, सदन के लिए कुछ और हो और पब्लिक गैलेरीज़ के लिए और हो, ऐसा नहीं है। सबके लिए मेरी स्पीच समान होती है।

श्री मानसिंह—जोधपुर में बड़े-बड़े मकान पड़े हुए हैं और यदि उन पर इस प्रकार कब्जा कर लेंगे तो क्या पुलिस में रिपोर्ट नहीं होगी ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—बेमकान वाले बड़े मकानों पर कब्जा भी कर लेंगे और उनके हकों की रक्षा भी होगी।

श्री श्रीदास गोयल—पिनक की स्पीच है।

(श्री शम्भूसिंह के बोलने के लिए उद्यत होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—आपका नम्बर फिर आएगा। वे (श्री एच. के व्यास) इसको विद्ड्रा नहीं करना चाहते हैं।

प्रश्न यह है कि श्री एच. के व्यास ने क्लॉज़ १३३ पर जो संशोधन प्रस्तुत किया है उन्होंने इसको प्रेस किया है, क्या सदन को यह स्वीकार है?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

रावल श्री शम्भूसिंह—मैं भी मेरे अमेंडमेंट को प्रेस करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया उस पर माननीय मंत्री महोदय ने एक शब्द भी नहीं फरमाया लेकिन विभिन्न मित्रों के संशोधनों में माननीय मंत्रीजी ने फरमाया कि हम ट्रेसपासर्स के साथ कैसा डील करेंगे और लिनियन्सी से काम नहीं लेंगे। इस एटीट्यूड का मैं स्वागत करता हूँ और प्रशंसा करता हूं। परन्तु मैं देखता हूँ कि ट्रेसपासर्स के साथ सख्ती से डील करना और लिनियन्सी नहीं दिखाना, यह संभव नहीं हो सकेगा, जब तक कि हम इनके वास्ते कोई प्रोपर रेमेडी नहीं रखेंगे या प्रोसिजर को ठीक न बना देंगे। सूट का जो प्रोसिजर है वह कॉम्प्लीकेटेड प्रोसिजर है और ट्रेसपास करने वाले अरेन्ड प्लान बना कर ट्रेसपास करते हैं, उनके सामने सूट का डर नहीं रहता है। वे समझते हैं कि सूट लाने पर हम कामयाब हो जावेंगे, हमारी गुन्डागर्दी से सूट लाने वाले को, किसी प्रकार जो एविडेन्स देने वाले हैं, विटनेसेज़ हैं; उनको किसी प्रकार से डरा-धमका कर रोक देंगे, नाकामयाब बना देंगे। सूट में कई तरह के कॉम्प्लीकेशन्स हैं। तो इसमें यह व्यवस्था है कि तहसीलदार द्वारा नोटिस देकर स्टेट के लिए तो ऐसा किया जा सकता है। इसी तरह से यही प्रोसिजर प्राइवेट पर्सन्स के लिए क्यों न एकसा कर दिया जाय? सरकारी जमीन में ट्रेसपास करने की हालत में तो वह प्रोसिजर होगा तो प्राइवेट पर्सन्स को भी वे अधिकार क्यों न दिये जांय? यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि ट्रेसपासर्स के साथ सख्ती से डील करना शायद पुस्तकों में ही रह जायगा और ट्रेसपासर्स खुल्लमखुल्ला ट्रेसपास करते रहेंगे सब लोगों के लिए सम्भव नहीं होगा सूट लाना। खास इस कानून में जहां तक मुझे याद है क्लॉज़ १८४ जो है वह इस प्रकार है कि :"question of proprietory rights in revenue courts."

क्लॉज़ १८४ में यह है कि अगर प्रोप्राइटरी राइट के सवाल को उठा दिया गया तो फिर वह रेवेन्यू बोर्ड को रेफर कर दिया जायगा, फिर गई बरसों की। इस परिस्थिति से ट्रेसपासर खुल्लमखुल्ला फायदा उठाते रहेंगे। यह जो ट्रेसपासर के लिए, उनके लिये यह सहानुभूति के शब्द रह जायें वास्तव में इनसे कुछ लाभ होने वाला नहीं, न समेरी इजेक्टमेंट और न समेरी ट्रायल के प्रोसिजर को अख्त्यार करने पर भी। मैं इन शब्दों के साथ अपने संशोधन को प्रेस करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रावत शम्भूसिंह ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री कपिलदेव ने रखा उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन श्री कपिलदेव का स्वीकार किया गया ।

(विराम)

श्री श्रीगोपाल भार्गव—माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपने संशोधन को वापिस लेने क अनुमति चाहता हूँ, क्योंकि माननीय मंत्री ने चार की जगह छः करना मन्जूर कर लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि इनको अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री श्रीगोपाल भार्गव—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने जो संशोधन रखा था "On the issue of a notice" के बदले "On the engiry of the period of notice immediately" रखना चाहिये । उसके लिये माननीय मंत्री ने फरमाया कि On the issue of a notice by" का मतलब "On the expiry of the period" हो जावे तो इससे यह चीज तो चल सकती है । तब तो मेरे इस अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं रहती । लेकिन अभी अभी यहां एक दो वकील जो एडवोकेट्स भी हैं, उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां मेरे मित्र यहां पर ही ऐसा अर्थ निकालने लग गये तो मजिस्ट्रेट भी इन्हीं जैसे दिमाग का होगा तो वह भी इसी प्रकार का अर्थ निकाल ले ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो इस क्लॉज़ की गलती नहीं, यह तो उन मित्रों के दिमाग की खासियत है।

श्री गोपीलाल यादव (जारी)—गलत तरीके से अर्थ लगाने वाले लोग भी मिल सकते हैं। वरना 'on the expiry of the period of notice immediatly" रखना चाहिये। जब तक उसका पीरीयड़ खत्म न हो जाय, पीरियड़ खत्म होने पर इजेक्ट किया जाता है तो कोई एतराज नहीं।

चूंकि माननीय मंत्री महोदय ने साफ कर दिया कि : "On the issue of a notice" का मतलब "On the expiry of the period of notice" होगा, इसलिये मैं अपने संशोधन को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की यह आज्ञा है कि श्री गोपीलाल यादव को अपना संशोधन वापिस लेने दिया जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री गोपीलाल यादव—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री कपिलदेवजी के दो संशोधन थे, उनमें से एक को तो स्वीकार कर लिया गया व दूसरे संशोधन में उन्होंने माइनर चेन्ज़ेज़ चाहे हैं। इसके लिये भी सदन की इजाजत ले लेता हूं।

क्या सदन की यह राय है कि श्री कपिलदेव जी के संशोधन को माइनर चेन्ज़ेज़ सहित स्वीकार कर लिये जाय ?

(स्वीकृत)

हां, माइनर करेक्शन्स सहित श्री अग्रवाल के दोनों संशोधन स्वीकार कर लिये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नाथूराम मिर्धा ने रखा है उसको स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३३, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३३, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १३४।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, इसमें मेरे दो माइनर अमेंन्डमेंट्स हैं पहला यह है :

In sub-clause (1) line three, substitute "thirtieth" in place of 'fifteenth'. That is in place of 15th day of April make it the end of the month of April.

क्रोप्स वगैरह का जो समय है, १५ अप्रेल की जगह ३० कर दिया जाय।

इस प्रकार मेरा दूसरा जो संशोधन है वह यह है कि : "Delete sub-clause (2)".

इसका जो सब क्लॉज़ (टू) है वह डिलीट कर दिया जाय, यह इसलिए कि सब क्लॉज़ (दो) को आप देखेंगे इस क्लॉज़ के अन्दर तो यह एक्जीक्यूशन ऑफ डिक्री वगैरह के अधिकार देता है वह यह कहता है :

"(2) Nothing in this section shall apply to an order of delivery of possession passed after the first day of June in respect of an application for execution made befo rethe preceding fifteenth day of March or to an order or ejectment passed under the provisions of section 124B or section 133."

मेरा ख्याल है कि जहां तक इसका एक्सप्रेशन किया गया है वह निर्देशित है, क्योंकि चाहे आप किसी बिना पर इस तरह का इजेक्टमेंट करें उसका टाइम ऑफ एक्जीक्यूशन क्रोप्स के साथ ही होना चाहिये, नहीं तो बहुत सी कॉम्पलीकेशन्स पैदा हो सकती हैं। यह क्लॉज़ १३३ की मातहत है, जहां हमने यह पास किया है कि चार से छ गुना टाइम कर दिया जाय। क्रॉप्स के ऊपर उस

Page No.68

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आदमी का कब्जा रहेगा। इस वजह से आपने उसको कम्पेनसेशन दिया है तो १३४ का सब क्लॉज़ (२) क्या करेगा ?

वह इस बात की पर्मिशन देगा कि स्टेन्डिंग क्रॉप्स खड़ी हैं पर उसको तो इजेक्ट कर दिया। क्रॉप्स से उसका तो हक गया और ६ गुना मुआवजा भी देगा। ऐसी स्थिति पैदा न हो इसलिये १३३ का यह सब क्लॉज़ डिलीट कर दिया जावे, और मेरा ख्याल है कि इसको स्वीकार किया जावेगा।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय श्री एच. के. व्यास ने सब क्लॉज़ (२) को डिलीट करने के लिये अमेंडमेंट पेश किया है। मेरे ख्याल से यह सब क्लॉज़ (२) जैसा है बदस्तूर वैसा ही रहना चाहिये, बल्कि उसमें थोड़ा सा और एड कर दिया जाना चाहिए। कारण इसका यह है कि जो शख्स ट्रेसपासर है, किसी की आराजी पर वह नाजायज कब्जा करता है, वह आकर फिर किसी प्रकार की मदद चाहे यह नहीं हो सकता।

जहां एक दूसरे शख्स को बेदखल कर दिया, बेदखल करने पर उसको जमीन पर कब्जा दिलाया गया इसके लिए प्रोवाइड किया गया कि कितना कम्पेन्सेशन दिया जावे।

अब अगर सब सेक्शन (२) को हटा देते हैं तो इसका नतीजा यह होता है कि एक ट्रेसपासर को और एक टिनेन्ट को दोनों को हम एक केटेगरी में रख देते हैं।

एक वह शख्स है जिसको जमीन लैट आउट है और एक वह है जिसने जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है, तो मैं समझता हूँ कि जो यह रियायत ट्रेसपासर के लिए चाही जाती है यह नहीं होनी चाहिये, बल्कि उसके लिए तो किसी भी वक्त बेदखल किया जा सके यह प्रोवीजन होना चाहिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—फिर ६ टाइम्स रेन्ट का हरजाना कैसे लोगे तुम ?

श्री श्यामलाल गोयल—पर मेरा अर्ज करना यह है कि इसमें क्लॉज़ है १३५ "Remedies for wrongful ejectment". यह समेरी रमेडी आने वाली १३५ वें क्लॉज़ में हमने प्रोवाइड किया है। अगर कोई शख्स इजेक्ट हो उसके लिये भी अगर क्लॉज़ १३४ का सब क्लाज़ (१) इसको एप्लीकेबल करते हैं, तो वह स्थिति पैदा होगी जो कि एक ट्रेसपासर के मामले में होती है।

हमने और जो प्रोविजन पेश किये हैं उनसे रेगुलर सूट प्रोवाइज़ किये हैं। क्लॉज़ १३५ में एक समेरी रेमेडी दी गई है कि वह किस तरह से इजेक्ट किया जा सकता है, और इसके लिए भी यह जरूरी है कि जहां इसमें यह प्रोवाइड किया गया है कि :

[श्री श्यामलाल गोयल]

"Nothing in this section shall apply to an order of delivery of possession passed after the first dayof June in respect of an applicationfor execution made before the preceding fifteenth day of March or to an order of ejectment passed under the provisions of section 124B or section 133" मैं यह चाहता हूं कि इसके आगे Or section 135" एड कर दिया जावे। तो जो शख्स जबर्दस्ती कब्जा करे उनके लिए, फुल प्रोविजन हो जाता है। उनको किसी तरह की छूट नहीं मिलनी चाहिये। तो मेरा यह अर्ज करना हैं कि यह कर दिया जावे। माननीय मन्त्री महोदय इस पर विचार कर लें कि ये शब्द और एड कर दिये जावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—केवल क्लॉज़ १३५ के लिए हो तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री कपिलदेव अग्रवाल।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्षजी, मेरी एक छोटी सी तरमीम क्लॉज़ १३४ में है, कि क्लॉज़ १३४ के सब क्लॉज़ (२) में दूसरी लाइन में शब्द "after the first day of June" डिलीट कर दिये जावें।

इस तरमीम का आशय यह है कि अगर किसी ट्रेसपासर ने किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लिया है तो इसको कभी भी हटाया जा सकता हैं। इसमें हटने की कोई रेस्टिक्शन नहीं रहनी चाहिये। क्योंकि एक बार कोर्ट जब यह फाइन्डिंग दे देतो हैं कि यह शख्स ट्रेसपासर है तो इसको कब हटाया जाय और कब नहीं हटाया जाय, यह नियम इस ट्रेसपासर के लिए नहीं होना चाहिये जैसा कि दूसरे टिनेन्ट्स के लिए या सब टिनेन्ट्स के लिए है। ट्रेसपासर किसी भी वक्त हटाया ज सकता है।

और जैसे उसकी फसल खड़ी है खेत में या और कोई बात है तो इसके लिए क्लॉज़ १३३ (२) में प्रोविजन पहले से मौजूद है कि कोर्ट अगर वाजिब समझे तो बजाय इसके कि वह उसको जुरमाना करे ६ गुना तक जुर्माना देने और फसल उसको न लेने की इजाजत दे सकती है। अगर कोर्ट उचित नहीं समझती है तो खड़ी फसल पर किसी वक्त भी कब्जा दिया जाना चाहिये और ट्रेसपासर को इजेक्ट किया जाना चाहिये। इसलिये यह मेरी छोटी सी तरमीम है। इसमें समय नहीं दिया जाना चाहिये कि एक जून के बाद ही जमीन इक्वायर हो। ट्रेसपासर को तो किसी भी वक्त इजेक्ट कर दिया जाना चाहिये और यही न्याय की मांग है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह स्वीकार किया जावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्लॉज़ १३४ (२) फिर रखने का क्या मतलब ?

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्षजी, दो अमेंडमेंट्स अभी माननीय श्री श्यामलाल जी ने और कपिलजी ने पेश किये हैं और उन्होंने अपने अमेंडमेंन्ट्स में दोनों बातें ट्रेसपासर से सम्बन्धित कही हैं। उन्हीं के उसूलों को मानते हुए कि उस ट्रेसपासर को रियायत देना ठीक नहीं होगा, उसे कोर्ट के डिसीज़न पर छोडना चाहिये।

तो मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार से १३४ (२) हम बदस्तूर रखते हैं, १३३ रखते हैं और इसके बाद जरूर १३५ हो, क्योंकि यह तो समेरी रेमेडी है।

तो ऐसी स्थिति में जो श्री श्यामलालजी का अमेंडमेंट जो है, मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय भी उसका स्वागत करेंगे और श्री कपिलदेवजी ने जो १ जून हटाने का सुझाव दिया है वह भी ऐसी परिस्थिति में स्वस्थ प्रतीत होता है। इन दोनों का समर्थन करते हुए मैं सदन से प्रार्थना करता हूँ कि वे इन्हें स्वीकार फरमावें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्षजी, इसमें नादोती से आने वाले माननीय सदस्य ने यह संशोधन रक्खा कि १३४ में आगे १३५ और जोड़ दिया जावे १३३ के साथ, तो इसे मैं समझता हूँ, कि वह आवश्यक नही है, क्योंकि १३५ को अगर हम देखें तो इसका सब क्लॉज़ (४) यह बताता है कि : "An order for re-instatement shall be enforced, as early as may be, in the same manner as if it were a decree for ejectment but regard shall not be had to the time, if any. prescribed for the enforcement of such decree". तो इससे यह चीज स्पष्ट हो जाती है और उसके अलग से प्रोविजन करना इस १३५ क्लॉज़ में आवश्यक नहीं रहता है। इसके अन्दर भी इस बात को ले लिया गया है।

श्री श्रीदास गोयल—ठीक है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—तो इसके बाद में नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना संशोधन रखा है, चन्द शब्दों को डिलीट करने का :

"After the first day of June"

वह डिलीट कर दिये जांय। उससे वह क्लॉज़ १३४ (२) जैसा है वह रहे। उसके बाद इस क्लॉज़ को स्वीकार करना चाहिये।

इसके बाद जो जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, मैं समझता हूँ, उनके संबन्ध में यह कहना आवश्यक नहीं हैं कि उस चीज को हम स्वीकार करते हैं तो इस क्लॉज़ का पर्पज ही खत्म हो जाता है। अगर उसको एन्फोर्स किया जाय तो दरअसल में वह सजा के तौर पर सामने आने वाले के ऊपर असर डालेगा।

Page No.71

श्री उपाध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं, आप मत ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री एच. के. व्यास ने क्लाज़ १३४ में प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री कपिलदेव अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

एक संशोधन श्री श्यामलाल का है।

श्री श्यामलाल गोयल—मुझे मेरा संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की इजाजत है वापिस लेने की ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री श्यामलाल गोयल—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

Page No.72

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लॉज़ १३४, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १३४ ए, श्री श्रीगोपाल भार्गव।

श्री श्रीगोपाल भार्गव—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन १३४ ए के बाद है और वह यह है कि क्लॉज़ १३४ ए और १३५ के बीच में :

"Remedies for wrongful ejectment".

श्री उपाध्यक्ष—उसका कोई क्लॉज़ नहीं है।

श्री श्रीगोपाल भार्गव—१३४ ए में कोई संशोधन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—१३४ ए में कोई संशोधन नहीं है।

श्री कपिलदेव—एक है साहब बहुत छोटा सा।

बहुत छोटा सा संशोधन है, माननीय उपाध्यक्षजी, वह यह है कि : "Civil procedure 1908" की जगह "Civil Procedure Code, 1908 (Act V of 1908)" कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—एक संशोधन श्री कपिलदेव अग्रवाल का है। जैसा कि एक्ट में रेफरेन्स होता है वह इस तरह का होता है। मैं यह मान लेता हूँ कि उसमें कोई मत लेने का या आब्जेक्शन का कोई सवाल नहीं है। यह छोटा सा संशोधन है। यह कांसीक्वेंशियल है।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३४ ए, माइनर संशोधन सहित, विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३४ ए, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Now Shri ShriGopal Bhargava.

श्री श्रीगोपाल भार्गव—उपाध्यक्ष महोदय, जो रेमेडीज दी गई है वह सिर्फ रोंगफुल इजेक्टमेंट के लिए दी गई है। इसमें कहीं यह नहीं है कि रोंगफुल इजेक्टमेंट को रोका भी जाय। इसलिए मेरा संशोधन यह है कि "Remedies for wrongful ejectment के बजाय "Remedies to prevent wrongful ejectments" होना चाहिये। इसके बाद १३५ को पढ़ा जाय। वह आगे है इसलिए यह बीच में बढ़ जाना चाहिये। इसलिए कि रोंगफुल इजेक्टमेंट्स होने को किसी तरह से रोकें और जो कुछ उनको रोकने के लिए हो वह करें। इसलिए मेरा यह एमेंडमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष—इतना ही संशोधन है क्लॉज़ १३५ से पहले।

श्री श्रीगोपाल भार्गव—क्लॉज़ १३४ ए के बाद और क्लॉज़ १३५ से पहले जहां यह लिखा हुआ है: "Remedies for wrongful ejectments" उसके चेन्ज करने के लिए है मेरा एमेन्डमेंट।

श्री उपाध्यक्ष—हेडिंग को चेन्ज करना है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—As amended how will the heading read ?

श्री उपाध्यक्ष—एमेन्डेड फोर्म में कैसे रीड करेगा ?

श्रीश्री गोपाल भार्गव—क्लॉज़ १३४ के बाद जो हेडिंग है "Remedies for wrongful ejectments" इसके बदले इन्जन्क्शन जारी करने के लिए "Remedies to prevent wrongful ejectment" है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Remedies are to prevent something. Remedies come after the act itself.

श्री कपिलदेव—१३५ में इजेक्टमेंट हो जाय तो बाद में रेमेडीज़ दी हुई हैं। वह रेफर नहीं करता है।

श्री श्रीगोपल भार्गव—वह दोने आ जायेंगे। उसके लिए ऐसा है और इसके लिए उसमें ऐसा कर दिया जाय :

"Remedies for wrongful ejectment and to prevent wrongful ejectment."

श्री कपिलदेव—"Provisions to Prevent wrongful ejectment" कर दिया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—But then you should also cover cases for......

श्री कपिलदेव—That amendment he is bringing.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, no. You can make provisions to prevent wrongful ejectment. But despite your provisions, wrongful ejectments occur. You must provide for remedies also and so there is no escape from the present heading. You should put up another additional words.

श्री कपिलदेव—"Provisions to prevent wrongful ejectment" अच्छा रहेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—"and remedies for..."

श्री कपिलदेव—हां।

श्री उपाध्यक्ष—इस हेडिंग में कुछ खास डिफेक्ट नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—The heading is all right.

श्री उपाध्यक्ष—हां, यह बेकार है।

श्री श्रीगोपाल भार्गव—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मेरा संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें अपना संशोधन वापिस लेने दिया जाय?

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री श्रीगोपाल भार्गव—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ १३५ में श्री तनसिंह का अमेंडमेंट है, वे हाजिर नहीं हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, यह १३५ वां क्लॉज़ बहुत महत्वपूर्ण है और अब केवल १० मिनिट बाकी बचे हैं, इसलिये इसको आगे लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—श्री श्रीगोपाल भार्गव का एक अमेंडमेंट है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—वह बड़ा फन्डामेंटल अमेन्डमेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष—पूरी क्लॉज़ पास नहीं हो सकेगा तो अमेन्डमेन्ट तो हो जायेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--इसका शुरूआत तो हो जाय।

श्री गोपालभार्गव—मेरा अमेंडमेंट क्लॉज १३५ के सब क्लॉज (२) में यह है :

"On receipt of an application under sub-section (1) the Sud-Divisional officer/Assistant Collector shall give notice to the landholder and to the persons if any, in possession of such holding..."

यह इसलिये है कि हमारे यहां बहुतसी जमीन ऐसी है जहां कि जमीनदारी सिस्टम है और बहुतसी जमीन है जो केवल मुस्तर्का है और सारे गांव में जितने जमीनदार हैं वे सब जमीन के मालिक समझे जाते हैं और उनमें से कोई एक शख्स किसी काश्तकार की जमीन पर कब्जा करले तो उसका कोई नोटिस सब जमीनदारों को देना पड़ता है "Shall give notice to the landholde".

वाजिब तो यह है कि काश्तकार सिर्फ उसी आदमी को जो जबर्दस्ती कब्जा कर लेता है या जो ट्रेसपासर है उसी को नोटिस दे, लेकिन ये लफ्ज जो हैं "Shall give notice to the landholder" उनके अनुसार लैंड होल्डर को भी नोटिस देना लाजमी हो जाता है। इससे काश्तकार को बहुत परेशानी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ जमीनदार गांव में भी नहीं होते हैं और महीनों व बरसों गुजर जाते हैं पर नोटिस तामील नहीं होता। इसलिये ये शब्द जो हैं :

"notice to the landholder and to the persen if any" में से "to the landholder and if any" निकाल दिये जांय, यह मेरा संशोधन है ताकि काश्तकारों को दिक्कत नहीं हो।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा एक छोटा सा अमेंडमेंट जो यह है कि जो सेकण्ड प्रोविजो इसमें मौजूद है :

"Provided futher that where such other person has paid any premimum to the landholder for getting possession of the holding in question, he shall be entitled to a refund thereof by the landholder."

इसको ओमिट कर दिया जाय क्योंकि हम यहां पर डील कर रहे हैं कि जो शख्स बेदखल हो गया है, कोई शख्स लैंड होल्डर की इजाजत के काबिज हो गया है उसको हटा दिया जाय और पहले वाले को कब्जा दिया जाय। यदि कोई गैर वाजिब हुआ है, काबिज हुआ है, उसका खर्चा हुआ है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। It is between them. अपने को ऐसे आदमी को प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है जो कि ट्रेसपासर की तरह काबिज है। ऐसी सूरत में यह प्रोविजो हटा दिया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपना अमेन्डमेन्ट इस समय पेश नहीं करूं तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष—आपका अमेन्डमेंट लंबा है क्या ?

श्री हरिकृष्णव्यास—जी हां; ज्यादा बड़ा है, काफी समय लगेगा। आप कहें तो अभी शुरू करदूं, नहीं तो आगे के लिये रखा जाय।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—५ मिनट में इन्ट्रोडक्शन दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अब कुछ दिनों के लिये हाउस को एडजोर्न करना है। इसके लिये दो तरह की सम्मति सामने है। एक तो यह कि ११ अक्टूबर को वापिस बुलाया जाय और दूसरा यह कि दीवाली के बाद वापिस मीट करें। इस पर सदन की क्या सम्मति है ?

श्री मथुरादास माथुर—११ तारीख को वापिस मिलना चाहिये। आज सदन एडजोर्न हो तो ११ तारीख को वापिस मिलना चाहिये। डेफिनेटली हमारी यही राय है।

श्री उपाध्यक्ष—दिवाली के बाद वाली बात ठीक नहीं है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर—नहीं साहब। ११ तरीख ठीक है।

श्री हिम्मतसिंह—किसी खास कारण से बदलने की बात हो गई मालूम होती है, नहीं तो आम तौर से लोगों की इच्छा यह है कि दिवाली के बाद बुलाया जाय।

श्री माथुरादास माथुर—यह आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है।

श्री हिम्मतसिंह—व्यक्तिगत नहीं। बहुतों की यही इच्छा है।

श्रीमथुरादास माथुर—हम को शुरू में यह कहा गया था कि स्थापना है, दशहरा है, धार्मिक मामला है, इसलिये ११ तारीख को मीट करने के लिये हमने मंजूर किया था। We have agreed for the adjournment on religious grounds till 11 th

श्री जसवन्त सिंह—आप इनके मुंह से कहलवादें।

श्री मथुरादास माथुर—इनको अधिकार है जैसा भी डिसीजन लें।

श्री उपाध्यक्ष—फिलहाल सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। सदन की राय ११ तारीख को मीट करने की है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तारीख का ऐलान हो जाना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि ११ तारीख ही ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष—११ तारीख को मीट करेंगे।

एक माननीय सदस्य—कितने बजे ?

अनेक माननीय सदस्य—शाम को ४ बजे।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही १२ बजे मध्यान्ह को दिनांक ११ अक्टोबर, १९५४, सोमवार को दिन के ४ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक, २४ सितम्बर, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा,